भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
....
लोकसभा
तारांकित प्रश्न संख्या-321
जिसका उत्तर 13 फरवरी, 2014 को दिया जाना है।

विद्युत क्षमता में वृद्धि

***321. श्री असादूद्दीन ओवेसीः**
श्री जय प्रकाश अग्रवालः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान विद्युत की मांग और आपूर्ति का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र–वार ब्यौरा क्या है और मांग और आपूर्ति के बीच अंतर के क्या कारण हैं;

(ख) 12वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के लिए इस संबंध में तय किए गए लक्ष्यों की तुलना में वर्ष 2013 के दौरान देश में ताप, जल और नाभिकीय विद्युत की क्षमता में प्राप्त की गई वृद्धि का पृथक–पृथक ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने 12वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान विद्युत की लक्षित क्षमता वृद्धि को प्राप्त करने के लिए देश में अनेक जल विद्युत परियोजनाओं की गति में तेजी लाने का निर्णय लिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस विषय के संबंध में कोई अधिकारप्राप्त मंत्री समूह भी गठित किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) आगामी दस वर्षों के लिए देश की विद्युत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अन्य क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

उत्तर

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

(क) से (ङ) :विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

*****

acer

विवरण

विद्युत क्षमता में वृद्धि के संबंध में दिनांक 13.02.2014 को लोकसभा में उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 321 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

****

(क) : वर्ष 2011-12, 2012-13 और 2013-14 (जनवरी, 2014 तक) के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में विद्युत की मांग और आपूर्ति का ब्यौरा **अनुबंध**में दिया गया है।

देश में मांग और आपूर्ति के बीच के अंतर के मुख्य कारण अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित हैं:

(i) कुछ विद्युत संयंत्रों में ईंधन की कमी के कारण कम उत्पादन।
(ii) कुछ ताप उत्पादन इकाइयों (अधिकतर राज्य क्षेत्र) का कम संयंत्र भार कारक।
(iii) कुछ क्षेत्रों में खराब मानसून के कारण कम जल विद्युत उत्पादन।
(iv) राज्य डिस्कॉम की उच्च सकल तकनीकी एवं वाणिज्यिक (एटी एण्ड सी) हानियाँ।
(v) राज्य यूटिलिटियों की खराब वित्तीय स्थिति के कारण उनके लिए पर्याप्त उत्पादन, पारेषण एवं वितरण प्रणाली सृजित करने के लिए अपेक्षित निवेश करने के लिए आवश्यक संसाधन जुटाना कठिन हो जाता है और कई बार तो वे वित्तीय कठिनाइयों के कारण विद्युत की खरीद करने में भी असमर्थ होते हैं।

(ख) :12वीं पंचवर्षीय योजनावधि के लिए निर्धारित लक्ष्य की तुलना में वर्ष 2012-13 और 2013-14 (दिनांक 31.01.2014 तक) देश में प्राप्त की गई थर्मल, हाइड्रो एवं न्यूक्लियर पावर क्षमता में अभिवृद्धि का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

(आंकड़े मेगावाट में)

श्रेणी	**2012-13**		**2013-14**	
	लक्ष्य	**उपलब्धि**	**लक्ष्य**	**उपलब्धि(दिनांक 31.01.2014 तक)**
थर्मल	15154.3	20121.8	15234.3	9026
हाइड्रो	802.0	501.0	1198.0	402
न्यूक्लियर	2000.0	0.0	2000.0	0.0
कुल	17956.3	20622.8	18432.3	9428

acer

(ग) : सरकार ने 12वीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान जल विद्युत परियोजनाओं को समय से पूरा करने और उन्हें चालू करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं जो अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित हैं:

(i) केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) द्वारा निरंतर स्थल दौरे, विकासकर्ताओं एवं अन्य पणधारियों के साथ बातचीत, मासिक प्रगति रिपोर्टों का महत्वपूर्ण अध्ययन आदि करके आवधिक रूप से प्रत्येक परियोजना की निगरानी की जाती है।

(ii) विद्युत मंत्रालय द्वारा जल विद्युत परियोजनाओं की प्रगति के स्वतंत्र रूप सेअनुवर्तन एवं निगरानी के लिए एक विद्युत परियोजना निगरानी पैनल (पीपीएमपी) गठित किया गया है।

(iii) विद्युत मंत्रालय द्वारा महत्वपूर्ण मामलों के समाधान के लिए सीईए के संबंधित अधिकारियों, उपस्कर विनिर्माताओं, राज्य यूटिलिटियों/केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/परियोजना विकासकर्ताओं आदि के साथ नियमित रूप से समीक्षा बैठकें की जाती हैं।

(iv) उपलब्ध कार्यकारी मौसम में महत्वपूर्ण जनशक्ति और सामग्री के परिवहन सहित कठिन मौसम और कार्यस्थितियों का ध्यान रखने के लिए परियोजना की समुचित आयोजना सुनिश्चित की जाती है।

(v) संबंधित परियोजनाओं के विकास/कार्यान्वयन के लिए सड़कों और पुलों सहित अपेक्षित आधारभूत सुविधाओं का विकास।

(vi) सरकार ने पूर्वोत्तर क्षेत्र केविकास से संबंधित विभिन्न बकाया मामलों पर विचार करने और उनका समाधान करने के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री के अधीन एक अधिकार प्राप्त मंत्री-समूह का गठन किया है। अरुणाचल प्रदेश में कार्यनीतिक एवं विद्युत उत्पादन परियोजनाएँ शुरू करने से संबंधित प्रगति पर विचार करने के लिए भी एक अधिकारप्राप्त मंत्री-समूह का गठन किया गया है।

(घ) : जी,हाँ। अरुणाचल प्रदेश राज्य में कार्यनीतिक और विद्युत उत्पादन परियोजनाओं को छोड़कर पूर्वोत्तर राज्यों में प्रमुख अवसंरचनात्मक परियोजनाओं और अन्य परियोजनाओं तथा मुद्दों की समीक्षा एवं द्रुतगति से कार्यान्वयन के लिए और जहां अपेक्षित हो, संबंधित मंत्रालयों/विभागों को मार्गदर्शन/निर्देश देने के लिए मंत्रिमंडल सचिवालय की दिनांक 17.07.2013 की अधिसूचना संख्या 161/2/1/2013-कैब. तथा इसके पश्चात दिनांक 18/19 दिसंबर, 2013 की 161/2/1/2013-कैब. के द्वारा संशोधित विचारार्थ विषय के लिए एक अधिकारप्राप्त मंत्री-समूह (ईजीओएम) का गठन किया गया है। इस ईजीओएम को पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय द्वारा सेवाएँ प्रदान की जाएंगी।

अरुणाचल प्रदेश में कार्यनीतिक एवं विद्युत उत्पादन परियोजनाएँ शुरू करने से संबंधित प्रगति पर विचार करने के लिए एक अन्य अधिकारप्राप्त मंत्री-समूह (ईजीओएम) का गठन मंत्रिमंडल सचिवालय की अधिसूचना संख्या 161/2/2/2013-कैब. दिनांक 17.12.2013 द्वारा की गई है। इस ईजीओएम को विद्युत मंत्रालय द्वारा सेवाएँ प्रदान की जाएंगी।

(ङ) :देश मेंअगले दस वर्षों के लिए विद्युत कमी को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं-

(i) 12वीं योजना के दौरान 30,000 मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा को छोड़कर 88,537 मेगावाट के प्रस्तावित लक्ष्य के साथ उत्पादन क्षमता अभिवृद्धि में तीव्रता लाना। इस लक्ष्य की तुलना

acer

में वर्ष 2012-13 तथा 2013-14 में (31 जनवरी, 2014 तक) 30,462 मेगावाट क्षमता पहले ही शुरू की जा चुकी है। इसी प्रकार क्षमता अभिवृद्धि का लक्ष्य 13वीं योजना में भी रखा जाएगा।

(ii) आर्थिक पैमाने पर लाभ प्राप्त करने के साथ-साथ व्यापक क्षमता के विद्युत संयंत्रों का निर्माण करने के लिए प्रति परियोजना 4,000 मेगावाट की अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजनाओं (यूएमपीपी) का विकास । यूएमपीपी की 5,320 मेगावाट क्षमता 31 जनवरी, 2014 तक पहले ही शुरू की जा चुकी है ।

(iii) पूर्वोत्तर में, विशेष रूप से अरुणाचल प्रदेश में जल विद्युत परियोजनाओं की फास्ट ट्रैकिंग सहित हाइड्रो क्षमता अभिवृद्धि पर बल देना।

(iv) संयुक्त उद्यमों के माध्यम से विद्युत उपस्करों की घरेलू विनिर्माण क्षमता का संवर्द्धन ।

(v) स्वदेशी स्रोतों से ताप विद्युत स्टेशनों को कोयले की आपूर्ति में कमी को पूरा करने के लिए विद्युत यूटिलिटियों को कोयले का आयात करने की अनुमति दी गई है ।

(vi) पुरानी और अकुशल उत्पादन यूनिटों का पुनरूद्धार, आधुनिकीकरण और जीवन विस्तार।

(vii) मौजूदा उत्पादन क्षमता का अधिकतम उपयोग करने के लिए हाइड्रो, थर्मल, न्यूक्लियर और गैस आधारित विद्युत स्टेशनों का समन्वित प्रचालन और रख-रखाव।

(viii) विद्युत निकासी के लिए अंतर-राज्यीय तथा अंतर-क्षेत्रीय पारेषण क्षमता का सुदृढ़ीकरण। 765 केवी रायचूर-शोलापुर अंतर-क्षेत्रीय पारेषण लाइन के चालू होने से, भारतीय विद्युत प्रणाली ने **एक राष्ट्र-एक ग्रिड-एक फ्रीक्वेंसी** के नए युग में प्रवेश कर लिया है तथा अब यह विश्व के विशालतम प्रचालनरत सिंक्रोनस ग्रिड में एक हो गई है।

(ix) क्षति कम करने की दिशा में एक प्रमुख कदम के रूप में उप-पारेषण और वितरण नेटवर्क का सुदृढ़ीकरण।

(x) ऊर्जा संरक्षण, ऊर्जा दक्षता तथा मांग पक्ष प्रबंधन के उपायों का संवर्धन करना ।

******

अनुबंध

लोक सभा में दिनांक 13.02.2014 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 321 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

****

वर्ष 2011-12 के लिए विद्युत आपूर्ति की स्थिति (संशोधित)

राज्य/सिस्टम/क्षेत्र	ऊर्जा				व्यस्ततम			
	अप्रैल, 2011– मार्च, 2012				अप्रैल, 2011 – मार्च, 2012			
	आवश्यकता	उपलब्धता	अधिशेष/कमी (-)		व्यस्ततम मांग	व्यस्ततम पूर्ति	अधिशेष/कमी (-)	
	(एमयू)	(एमयू)	(एमयू)	(%)	(मेगावाट)	(मेगावाट)	(मेगावाट)	(%)
चंडीगढ़	1,568	1,564	-4	0	263	263	0	0
दिल्ली	26,751	26,674	-77	-0.3	5,031	5,028	-3	-0.1
हरियाणा	36,874	35,541	-1,333	-3.6	6,533	6,259	-274	-4.2
हिमाचल प्रदेश	8,161	8,107	-54	-0.7	1,397	1,298	-99	-7.1
जम्मू व कश्मीर	14,250	10,889	-3,361	-23.6	2,385	1,789	-596	-25.0
पंजाब	45,191	43,792	-1,399	-3.1	10,471	8,701	-1,770	-16.9
राजस्थान	51,474	49,491	-1,983	-3.9	8,188	7,605	-583	-7.1
उत्तर प्रदेश	81,339	72,116	-9,223	-11.3	12,038	11,767	-271	-2.3
उत्तराखंड	10,513	10,208	-305	-2.9	1,612	1,600	-12	-0.7
उत्तरी क्षेत्र	2,76,121	2,58,382	-17,739	-6.4	40,248	37,117	-3,131	-7.8
छत्तीसगढ़	15,013	14,615	-398	-2.7	3,239	3,093	-146	-4.5
गुजरात	74,696	74,429	-267	-0.4	10,951	10,759	-192	-1.8
मध्य प्रदेश	49,785	41,392	-8,393	-16.9	9,151	8,505	-646	-7.1
महाराष्ट्र	1,41,382	1,17,722	-23,660	-16.7	21,069	16,417	-4,652	-22.1
दमन एवं दीव	2,141	1,915	-226	-10.6	301	276	-25	-8.3
दादर नागर हवेली	4,380	4,349	-31	-0.7	615	605	-10	-1.6
गोवा	3,024	2,981	-43	-1.4	527	471	-56	-10.6
पश्चिमी क्षेत्र	2,90,421	2,57,403	-33,018	-11.4	42,352	36,509	-5,843	-13.8
आंध्र प्रदेश	91,730	85,149	-6,581	-7.2	14,054	11,972	-2,082	-14.8
कर्नाटक	60,830	54,023	-6,807	-11.2	10,545	8,549	-1,996	-18.9
केरल	19,890	19,467	-423	-2.1	3,516	3,337	-179	-5.1
तमिलनाडु	85,685	76,705	-8,980	-10.5	12,813	10,566	-2,247	-17.5
पुडुचेरी	2,167	2,136	-31	-1.4	335	320	-15	-4.5
लक्षद्वीप	37	37	0	0	8	8	0	0
दक्षिणी क्षेत्र	2,60,302	2,37,480	-22,822	-8.8	37,599	32,188	-5,411	-14.4
बिहार	14,311	11,260	-3,051	-21.3	2,031	1,738	-293	-14.4
डीवीसी	16,648	16,009	-639	-3.8	2,318	2,074	-244	-10.5
झारखंड	6,280	6,030	-250	-4.0	1,030	868	-162	-15.7
ओडिशा	23,036	22,693	-343	-1.5	3,589	3,526	-63	-1.8
प. बंगाल	38,679	38,281	-398	-1.0	6,592	6,532	-60	-0.9
सिक्किम	390	384	-6	-1.5	100	95	-5	-5.0
अंडमान - निकोबार	244	204	-40	-16	48	48	0	0
पूर्वी क्षेत्र	99,344	94,657	-4,687	-4.7	14,707	13,999	-708	-4.8
अरूणाचल प्रदेश	600	553	-47	-7.8	121	118	-3	-2.5
असम	6,034	5,696	-338	-5.6	1,112	1,053	-59	-5.3
मणिपुर	544	499	-45	-8.3	116	115	-1	-0.9
मेघालय	1,927	1,450	-477	-24.8	319	267	-52	-16.3
मिजोरम	397	355	-42	-10.6	82	78	-4	-4.9
नागालैंड	560	511	-49	-8.8	111	105	-6	-5.4
त्रिपुरा	949	900	-49	-5.2	215	214	-1	-0.5
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	11,011	9,964	-1,047	-9.5	1,920	1,782	-138	-7.2
अखिल भारतीय	9,37,199	8,57,886	-79,313	-8.5	1,30,006	1,16,191	-13,815	-10.6

लक्षद्वीप एवं अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में स्टैंड अलोन सिस्टम हैं, इनकी विद्युत की आपूर्ति स्थिति में क्षेत्रीय आवश्यकता और उपलब्धता नहीं है।

टिप्पणी : विभिन्न राज्यों में व्यस्ततम पूर्ति और ऊर्जा उपलब्धता- दोनों निवल खपत (पारेषण हानियों सहित) को दर्शाते हैं। निवल निर्यात को आयात करने वाले राज्यों की खपत में हिसाब में लिया गया है ।

acer

वर्ष 2012-13 के लिए विद्युत आपूर्ति की स्थिति (संशोधित)

राज्य/सिस्टम/क्षेत्र	ऊर्जा				व्यस्ततम			
	अप्रैल, 2012– मार्च, 2013				अप्रैल, 2012 – मार्च, 2013			
	आवश्यकता	उपलब्धता	आवश्यकता		उपलब्धता	आवश्यकता	उपलब्धता	
	(एमयू)	(एमयू)	(एमयू)	(%)	(मेगावाट)	(मेगावाट)	(मेगावाट)	(%)
चंडीगढ़	1,637	1,637	0	0	340	340	0	0
दिल्ली	26,088	25,950	-138	-0.5	5,942	5,642	-300	-5.0
हरियाणा	41,407	38,209	-3,198	-7.7	7,432	6,725	-707	-9.5
हिमाचल प्रदेश	8,992	8,744	-248	-2.8	2,116	1,672	-444	-21.0
जम्मू व कश्मीर	15,410	11,558	-3,852	-25.0	2,422	1,817	-605	-25.0
पंजाब	48,724	46,119	-2,605	-5.3	11,520	8,751	-2,769	-24.0
राजस्थान	55,538	53,868	-1,670	-3.0	8,940	8,515	-425	-4.8
उत्तर प्रदेश	91,647	76,446	-15,201	-16.6	13,940	12,048	-1,892	-13.6
उत्तराखंड	11,331	10,709	-622	-5.5	1,759	1,674	-85	-4.8
उत्तरी क्षेत्र	3,00,774	2,73,240	-27,534	-9.2	45,860	41,790	-4,070	-8.9
छत्तीसगढ़	17,302	17,003	-299	-1.7	3,271	3,134	-137	-4.2
गुजरात	93,662	93,513	-149	-0.2	11,999	11,960	-39	-0.3
मध्य प्रदेश	51,783	46,829	-4,954	-9.6	10,077	9,462	-615	-6.1
महाराष्ट्र	1,23,984	1,19,972	-4,012	-3.2	17,934	16,765	-1,169	-6.5
दमन एवं दीव	1,991	1,860	-131	-6.6	311	286	-25	-8.0
दादर नागर हवेली	4,572	4,399	-173	-3.8	629	629	0	0.0
गोवा	3,181	3,107	-74	-2.3	524	475	-49	-9.4
पश्चिमी क्षेत्र	2,96,475	2,86,683	-9,792	-3.3	40,075	39,486	-589	-1.5
आंध्र प्रदेश	99,692	82,171	-17,521	-17.6	14,582	11,630	-2,952	-20.2
कर्नाटक	66,274	57,044	-9,230	-13.9	10,124	8,761	-1,363	-13.5
केरल	21,243	20,391	-852	-4.0	3,578	3,262	-316	-8.8
तमिलनाडु	92,302	76,161	-16,141	-17.5	12,736	11,053	-1,683	-13.2
पुडुचेरी	2,331	2,291	-40	-1.7	348	320	-28	-8.0
लक्षद्वीप	36	36	0	0	8	8	0	0
दक्षिणी क्षेत्र	2,81,842	2,38,058	-43,784	-15.5	38,767	31,586	-7,181	-18.5
बिहार	15,409	12,835	-2,574	-16.7	2,295	1,784	-511	-22.3
डीवीसी	17,299	16,339	-960	-5.5	2,573	2,469	-104	-4.0
झारखंड	7,042	6,765	-277	-3.9	1,263	1,172	-91	-7.2
ओडिशा	25,155	24,320	-835	-3.3	3,968	3,694	-274	-6.9
प. बंगाल	42,143	41,842	-301	-0.7	7,322	7,249	-73	-1.0
सिक्किम	409	409	0	0.0	95	95	0	0.0
अंडमान - निकोबार	241	186	-55	-23	48	48	0	0
पूर्वी क्षेत्र	1,07,457	1,02,510	-4,947	-4.6	16,655	15,415	-1,240	-7.4
अरूणाचल प्रदेश	589	554	-35	-5.9	116	114	-2	-1.7
असम	6,495	6,048	-447	-6.9	1,197	1,148	-49	-4.1
मणिपुर	574	543	-31	-5.4	122	120	-2	-1.6
मेघालय	1,828	1,607	-221	-12.1	334	330	-4	-1.2
मिजोरम	406	378	-28	-6.9	75	73	-2	-2.7
नागालैंड	567	535	-32	-5.6	110	109	-1	-0.9
त्रिपुरा	1,108	1,054	-54	-4.9	229	228	-1	-0.4
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	11,566	10,718	-848	-7.3	1,998	1,864	-134	-6.7
अखिल भारतीय	9,98,114	9,11,209	-86,905	-8.7	1,35,453	1,23,294	-12,159	-9.0

लक्षद्वीप एवं अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में स्टैंड अलोन सिस्टम हैं, इनकी विद्युत की आपूर्ति स्थिति में क्षेत्रीय आवश्यकता और उपलब्धता नहीं है।

टिप्पणी : विभिन्न राज्यों में व्यस्ततम पूर्ति और ऊर्जा उपलब्धता- दोनों निवल खपत (पारेषण हानियों सहित) को दर्शाते हैं। निवल निर्यात को आयात करने वाले राज्यों की खपत में हिसाब में लिया गया है ।

acer

वर्ष 2013-14 के लिए विद्युत आपूर्ति की स्थिति (अनंतिम)

राज्य/सिस्टम/क्षेत्र	ऊर्जा				व्यस्ततम			
	अप्रैल, 2013– जनवरी, 2014				अप्रैल, 2013 – जनवरी, 2014			
	आवश्यकता	उपलब्धता	आवश्यकता		उपलब्धता	आवश्यकता	उपलब्धता	
	(एमयू)	(एमयू)	(एमयू)	(%)	(मेगावाट)	(मेगावाट)	(मेगावाट)	(%)
चंडीगढ़	1,376	1,376	0	0	345	345	0	0
दिल्ली	23,365	23,301	-64	-0.3	6,035	5,653	-382	-6.3
हरियाणा	37,806	37,575	-231	-0.6	8,114	8,114	0	0.0
हिमाचल प्रदेश	7,651	7,456	-195	-2.5	1,561	1,392	-169	-10.8
जम्मू व कश्मीर	12,904	10,013	-2,891	-22.4	2,780	2,220	-560	-20.1
पंजाब	42,255	41,548	-707	-1.7	10,089	8,733	-1,356	-13.4
राजस्थान	47,794	47,672	-122	-0.3	9,977	9,936	-41	-0.4
उत्तर प्रदेश	80,211	68,542	-11,669	-14.5	13,089	12,327	-762	-5.8
उत्तराखंड	10,048	9,635	-413	-4.1	1,814	1,774	-40	-2.2
उत्तरी क्षेत्र	2,63,410	2,47,118	-16,292	-6.2	45,934	42,774	-3,160	-6.9
छत्तीसगढ़	15,516	15,400	-116	-0.7	3,365	3,320	-45	-1.3
गुजरात	74,744	74,735	-9	0.0	12,201	12,201	0	0.0
मध्य प्रदेश	40,795	40,771	-24	-0.1	9,716	9,716	0	0.0
महाराष्ट्र	1,04,698	1,02,615	-2,083	-2.0	18,040	17,013	-1,027	-5.7
दमन एवं दीव	1,882	1,882	0	0.0	322	310	-12	-3.7
दादर नागर हवेली	4,554	4,554	0	0.0	661	661	0	0.0
गोवा	3,076	3,061	-15	-0.5	529	529	0	0.0
पश्चिमी क्षेत्र	2,45,265	2,43,018	-2,247	-0.9	41,335	40,304	-1,031	-2.5
आंध्र प्रदेश	78,403	73,100	-5,303	-6.8	14,072	12,349	-1,723	-12.2
कर्नाटक	52,446	47,103	-5,343	-10.2	9,934	9,055	-879	-8.8
केरल	17,706	17,209	-497	-2.8	3,601	3,333	-268	-7.4
तमिलनाडु	77,719	72,993	-4,726	-6.1	13,380	12,527	-853	-6.4
पुडुचेरी	1,957	1,933	-24	-1.2	351	332	-19	-5.4
लक्षद्वीप	40	40	0	0	9	9	0	0
दक्षिणी क्षेत्र	2,28,235	2,12,342	-15,893	-7.0	39,015	34,163	-4,852	-12.4
बिहार	12,900	12,326	-574	-4.4	2,465	2,312	-153	-6.2
डीवीसी	14,633	14,540	-93	-0.6	2,745	2,745	0	0.0
झारखंड	5,979	5,854	-125	-2.1	1,111	1,069	-42	-3.8
ओडिशा	20,568	20,233	-335	-1.6	3,727	3,722	-5	-0.1
प. बंगाल	35,945	35,833	-112	-0.3	7,325	7,290	-35	-0.5
सिक्किम	341	341	0	0.0	90	90	0	0.0
अंडमान - निकोबार	200	150	-50	-25	40	32	-8	-20
पूर्वी क्षेत्र	90,366	89,127	-1,239	-1.4	15,885	15,528	-357	-2.2
अरूणाचल प्रदेश	459	429	-30	-6.5	125	124	-1	-0.8
असम	6,395	5,995	-400	-6.3	1,329	1,220	-109	-8.2
मणिपुर	483	457	-26	-5.4	130	129	-1	-0.8
मेघालय	1,496	1,343	-153	-10.2	343	330	-13	-3.8
मिजोरम	374	361	-13	-3.5	84	82	-2	-2.4
नागालैंड	484	472	-12	-2.5	109	106	-3	-2.8
त्रिपुरा	1,022	974	-48	-4.7	254	250	-4	-1.6
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	10,713	10,031	-682	-6.4	2,164	2,048	-116	-5.4
अखिल भारतीय	8,37,989	8,01,636	-36,353	-4.3	1,35,561	1,29,815	-5,746	-4.2

लक्षद्वीप एवं अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में स्टैंड अलोन सिस्टम हैं, इनकी विद्युत की आपूर्ति स्थिति में क्षेत्रीय आवश्यकता और उपलब्धता नहीं है।

टिप्पणी : विभिन्न राज्यों में व्यस्ततम पूर्ति और ऊर्जा उपलब्धता- दोनों निवल खपत (पारेषण हानियों सहित) को दर्शाते हैं। निवल निर्यात को आयात करने वाले राज्यों की खपत में हिसाब में लिया गया है ।

****

acer

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
....
लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या-337
जिसका उत्तर 13 फरवरी, 2014 को दिया जाना है।

विद्युत प्रणाली विकास निधि

***337. श्री प्रदीप माझीः**
श्रीमती दर्शना जरदोशः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने विद्युत प्रणाली विकास निधि के प्रचालन की योजना को स्वीकृति दे दीहै;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है औरउक्त योजना के अंतर्गत प्रदान की गई धनराशि काब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस योजना के अंतर्गत धनराशि का उपयोग किए जाने संबंधी मानदंड और प्रयोजनको भी अंतिम रूप दे दिया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या उत्तरी, पूर्वी, पश्चिमी ग्रिड (जिसमेंउत्तरी, पूर्वी, पश्चिमी और उत्तर–पूर्वी क्षेत्र समाविष्टहैं) और दक्षिणी ग्रिड की अंतर–क्षेत्रीय पारेषण संबंधीबाधाओं का समाधन कर लिया गया है;और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विद्युत प्रणाली विकास निधि का उपयोग कर पूरेदेश में पर्याप्त अंतर–क्षेत्रीय पारेषण सम्पर्कों केसृजन हेतु क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने काविचार है?

उत्तर

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

(क)से(ङ):विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

*****

acer

विवरण

विद्युत प्रणाली विकास निधिके संबंध में दिनांक 13.02.2014 को लोकसभा में उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 337 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखितविवरण।

****

(क) और (ख) जी, हाँ । भारत सरकार ने जनवरी 2014 में विद्युत प्रणाली विकास निधि (पीएसडीएफ) के प्रचालन हेतु योजना मंजूर कर दी है। इस योजना का ब्यौरा परिशिष्ट में दिया गया है ।

31.12.2013 की स्थिति के अनुसार पीएसडीएफ में उपलब्ध कुल निधि लगभग 6300 करोड़ रूपये है ।

(ग)- विद्युत प्रणाली विकास निधि के मानदंडों और जिस प्रयोजन के लिए इसका उपयोग किया जाएगा, उनका ब्यौरा नीचे दिया गया हैः-

(i) अन्तरराज्यीय पारेषण प्रणालियों(आईएसटीएस) और अन्तः राज्य प्रणाली जो आईएसटीएसकीअनुषंगी हैं, में संकुलन-अवमुक्ति के लिए भार प्रेषण केन्द्रों द्वारा प्रचालनात्मक फीडबैक के आधार पर कार्यनीतिक महत्व की आवश्यक पारेषण प्रणालियों का सृजन।

(ii) ग्रिड में वोल्टेज प्रोफाइल के सुधार के लिए शन्ट कैपेसिटर्स, सिरीज कम्पन्सेटर्स और अन्य रिएक्टिव ऊर्जा जेनरेटरों कीसंस्थापना।

(iii) मानक एवं विशेष सुरक्षा स्कीमों, पायलट एवं प्रदर्शनात्मक परियोजनाओं की संस्थापना और क्षेत्रीय आधार पर सुरक्षा जाँचों में पहचानीगई विसंगतियों को दूर करना।

(iv) संकुलन से अवमुक्ति के लिए पारेषण एवं वितरण प्रणालियों का नवीकरण एवं आधुनिकीकरण(आरएण्डएम)।

(v) उपर्युक्त उद्देश्यों को आगे बढ़ाने में कोई अन्य स्कीम/परियोजना जैसे कि तकनीकी अध्ययन एवं क्षमता निर्माण करना आदि।

उपर्युक्त जिन क्षेत्रों में ग्रिड की सुरक्षा एवं संरक्षा प्रभावित होती है, उनमें वितरण यूटिलिटियों द्वारा प्रस्तावित परियोजनाएं भी पीएसडीएफ स्कीम के अंतर्गत पात्र होंगी बशर्ते कि ये भारत सरकार की किसी अन्य स्कीम जैसे कि पुनर्गठित-त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम (आरएपीडीआरपी)/राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना(आरजीजीवीवाई)/राष्ट्रीय विद्युत निधि(एनईएफ) आदि के अंतर्गत शामिल न की गई हों।

निजी क्षेत्र की परियोजनाएं निधि से सहायता के लिए पात्र नहीं होंगी।

(घ) और (ङ) एनईडब्ल्यू ग्रिड और दक्षिणी ग्रिड के बीच अन्तर्क्षेत्रीय पारेषण में बाधाओं का पृथक रूप से समाधान किया जा रहा है । दक्षिणी क्षेत्र को विद्युत की आपूर्ति करने के लिए इस समय निम्नलिखित चार अन्तर्क्षेत्रीय लिंक मौजूद हैंः

acer

(i) गाजूवाका एचवीडीसी बैक टू बैक

(ii) तलचर- कोलार एचवीडीसी बाइपोल

(iii) चन्द्रपुर एचवीडीसी बैक टू बैक

(iv) शोलापुर - रायचूर 765 केवी. सिंगल सर्किट लाइन (प्रथम सर्किट)(यह लिंक निर्धारित समय से 5 माह पहले 31 दिसम्बर, 2013 को सिंक्रोनाइज कर दिया गया)

इसके अतिरिक्त शेष अखिल भारतीय ग्रिड के साथ दक्षिणी क्षेत्र की कनेक्टिविटी को सुदृढ़ करने के लिए निम्नलिखित अतिरिक्त अन्तर क्षेत्रीय पारेषण लाइनों की योजना बनाई गई है और वे निर्माणाधीन हैं:

(i) शोलापुर - रायचूर 765 केवी सिंगल सर्किट लाइन(दूसरा सर्किट)

(ii) कोल्हापुर (नई) - नरेन्द्रा (कुडगी) जीआईएस 765 केवी. डबल सर्किट लाइन (आरंभ में 400 केवी पर चार्ज की गई)

(iii) अंगुल - श्रीकाकुलम पीपी - वीमागिरी पुलिंग प्वांइट 765 केवी. डबल सर्किट लाइन

(iv) वर्धा- निजामाबाद- हैदराबाद 765 केवी. डबल सर्किट लाइन

पीएसडीएफ का उपयोग करके देश में कोई अंतर क्षेत्रीय पारेषण लिंक सृजित करने के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण(सीईए) में इस समय कोई प्रस्ताव उपलब्ध नहीं है।

****

acer

परिशिष्ट

विद्युत प्रणाली विकास निधिके संबंध में दिनांक 13.02.2014 को लोकसभा में उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 337 के भाग (क) और(ख) के उत्तर में उल्लिखितविवरण।

****

विद्युत प्रणाली विकास निधि के प्रचालनीकरण हेतु स्कीम।

1.0 उद्देश्य

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79(1)(ग) के अनुसार, सीईआरसी, अन्य बातों के साथ-साथ, विद्युत के अन्तरराज्यीय पारेषण को विनियमित करने के लिए सक्षम बनाता है। सीईआरसी ग्रिड के प्रचालन के लिए विनियम निर्धारित करके और विभिन्न विनियामक प्रभार भी निर्धारित करके नीचे दिए गए अनुसार अन्तरज्यीय पारेषण को विनियमित करती है।

विद्युत के अन्तरराज्यीय पारेषण में ग्रिड कोड में निहित विनिर्देशनों के अनुसार ग्रिड का विनियमन शामिल होता है। केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोगने एक तंत्र विकसित किया गया है। एक वाणिज्यिक तंत्र भी विकसित किया है ताकि ग्रिड अनुशासन का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके। जिसके द्वारा अनुशासन का उल्लंघन करने वालों को भुगतान करना आवश्यक होता है, जिसे अननुसूचित विनिमय प्रभार के रूप में निर्दिष्ट किया गया है। यह उस समय देय होता है जब ग्रिड के उपयोगकर्ता को निर्धारित प्रेषण का सख्ती से अनुपालन चाहिए और बिजली की निकासी अपनी वचनबद्धता के अनुरूप नहीं करता है।

अन्तरराज्यीय पारेषण विनियमन में प्रणाली संकुलन का प्रबंधन भी शामिल होता है। संकुलन का अर्थ उस स्थिति से है जहां पारेषण क्षमता की मांग उपलब्ध पारेषण क्षमता(एटीसी) से अधिक होती है। अन्तरराज्यीय पारेषण प्रणाली में संकुलन को समाप्त करने के लिए वास्तविक समय में वाणिज्यिक उपाय के रूप में एक प्रभार जिसे संकुलन प्रभार कहते हैं, लगाया जाता है।

संकुलन विद्युत एक्सचेंज के प्रचालन पर भी प्रभाव डालती है। इसका विनियमन सीईआरसी द्वारा बाजार विखण्डन की अवसंरचना के माध्यम सेकिया जाता है जो कि विद्युत एक्सचेंजों द्वारा अपनाया गया तंत्र होता है जहां पारेषण में संकुलन के कारण बाजार का विखंडन होता है। अतः बाजार विखंडन के परिणामस्वरूप विभिन्न क्षेत्रों की बाजार कीमतों में अंतर से संकुलन की मात्रा बढ़ती है।

विद्युत वोल्टेजों का रख-रखाव भी अन्तरराज्यीय पारेषण को विनियमित करने के लिए एक महत्वपूर्ण घटक है। निर्दिष्ट सीमा(अवास्तविक वोल्टेज का 97-103%) के भीतर वोल्टेज स्थायित्व के अनुरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए, भारतीय विद्युत ग्रिड कोड (आईईजीसी) के अनुसार यूटिलिटियों पर रिएक्टिव ऊर्जा प्रभार लगाने के माध्यम से व्यावसायिक उपाय किए जाते हैं और मीटरिंग बिन्दुओं पर वोल्टेज पर प्रभाव डालते हुए अपनी रिएक्टिव विद्युत निकासी/रिटर्न पर निर्भर करते हुए क्षेत्रीय इकाइयों द्वारा प्रभार देय/प्राप्त करने योग्य होते हैं।

acer

उपरोक्त चार प्रभारों नामतः(क) अननुसूचित विनिमय प्रभार(ख) संकुलन प्रभार(ग) बाजार विखण्डन संकुलन राशि और (घ) वोल्टेज का रख-रखाव करने हेतु विफलता के लिए मुआवजा, का निपटारा उनके बीच में किया जाता है जो भुगतान करते हैं और जिन्हें प्राप्त किए जाने की आवश्यकता होती है। दावों के अंतिम निपटारे के पश्चात, कुछ अधिशेष राशियां होती हैं जो कि विशेष निधि जिसे विद्युत प्रणाली विकास निधि (पीएसडीएफ) कहा जाता है, में रखी जाती है।

इस स्कीम का उद्देश्य विद्युत प्रणाली विकास निधि (पीएसडीएफ) का प्रचालनीकरण और सरकार द्वारा अनुमोदित किए गए अनुसार तथा समय-समय पर यथासंशोधित सीईआरसी(विद्युत प्रणाली विकास निधि) विनियमन, 2010 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार और निर्धारित लेखा और लेखा प्रक्रियाओं के अनुरूप, उसमें जमा निधियों का उपयोग करना है।

2.0 नोडल एजेंसी

राष्ट्रीय भार प्रेषण केंद्र(एनएलडीसी) स्कीम के कार्यान्वयन हेतु नोडल एजेंसी होगी।

3.0पात्र परियोजनाएं

3.1 परियोजनाओं की निम्नलिखित श्रेणियाँ पीएसडीएफ से सहायता की पात्र होंगी।

क) अन्तरराज्यीय पारेषण प्रणालियों(आईएसटीएस) और अन्तः राज्य प्रणाली जो आईएसटी की आनुषंगिक हैं, में संकुलन अवमुक्ति के लिए भार प्रेषण केन्द्रों द्वारा प्रचालनात्मक फीडबैक के आधार पर कार्यनीतिक महत्व की आवश्यक पारेषण प्रणालियों का सृजन।

ख) ग्रिड में वोल्टेज प्रोफाइल के सुधार के लिए शन्ट कैपेसिटर्स, सिरीज कम्पनसेटर्स और अन्य रिएक्टिव ऊर्जा जेनरेटरों कीसंस्थापना।

ग) मानक एवं विशेष सुरक्षा स्कीमों, पायलट एवं प्रदर्शनात्मक परियोजनाओं की संस्थापना और क्षेत्रीय आधार पर सुरक्षा लेखा परीक्षाओं में पहचान की गई विसंगतियों को दूर करना।

घ) संकुलन से अवमुक्ति के लिए पारेषण एवं वितरण प्रणालियों का नवीकरण एवं आधुनिकीकरण(आरएण्डएम)।

ङ) उपरोक्त उद्देश्यों को प्रोत्साहित करने में कोई अन्य स्कीम/परियोजना जैसे कि तकनीकी अध्ययन एवं क्षमता निर्माण करना आदि।

3.2 उपयुक्त क्षेत्रों में वितरण यूटिलिटियों द्वारा प्रस्तावित परियोजनाएं, जिनका ग्रिड की सुरक्षा एवं संरक्षा होगी, भी पीएसडीएफ स्कीम के अंतर्गत पात्र होगी बशर्ते कि ये भारत सरकार की किसी अन्य स्कीम जैसे कि पुर्नगठित-त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम (आरएपीडीआरपी)/राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना(आरजीजीवीवाई)/राष्ट्रीय विद्युत निधि(एनईएफ) आदि के अंतर्गत शामिल नहीं की गई हो।

3.3 निजि क्षेत्र की परियोजनाएं निधि से सहायता हेतु पात्र नहीं होंगी।

4.0 मूल्यांकन समिति

acer

पीएसडीएफ से वित्तपोषण हेतु अन्य बातों के साथ-साथ विभिन्न परियोजना प्रस्तावों की संवीक्षा(तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन) और प्राथमिकीकरण के उद्देश्य के लिए **अनुबंध I** पर दिए गए विवरण के अनुसार एक मूल्यांकन समिति होगी।

5.0 निगरानी समिति

सचिव (विद्युत), भारत सरकार की अध्यक्षता में एक अंतर मंत्रालयी निगरानी समिति होगी। निगरानी समिति का गठन **अनुबंध II** पर दिया गया है। समिति उपयुक्त आयोग की मूल्यांकन रिपोर्ट तथा विनियामक अनुमोदन के आधार पर मंजूरी हेतु इस प्रकार की परियोजनाओं (अथवा उनकी संशोधित लागतों) पर विचार करेगी। निगरानी समिति द्वारा दी गई मंजूरियों के आधार पर, विद्युत मंत्रालय के बजट से परियोजना इकाईयों को निधियाँ जारी की जाएगी। समिति स्वयं द्वारा मंजूर विभिन्न परियोजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी भी करेगी। पीएसडीएफ से निधियों का जारी किया जाना इस संबंध में वित्त मंत्रालय के मौजूदा निर्देशों के अनुसार विनियमित किया जाएगा।

5.0 आवेदन,संवीक्षा, मूल्यांकन, निगरानी, संस्वीकृति हेतु प्रक्रिया

5.1 क्षेत्रीय विद्युत समितियाँ उत्पादन कंपनियाँ वितरण लाइसेंस धारक, पारेषण लाइसेंस धारक, भार प्रेषण केंद्र, विद्युत विनियमन जो भी मामला हो, राष्ट्रीय भार प्रेषण केन्द्र को विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे जो उन्हें मूल्यांकन समिति द्वारा तकनीकी संवीक्षा के लिए प्रस्तुत करेगा।

5.2 मूल्यांकन समिति केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) की सहायता से परियोजनाओं की संवीक्षा(तकनीकी आर्थिक मूल्यांकन) करेगी और उन्हें प्राथमिकता प्रदान करेगी।

5.3 प्रस्तावों की संविक्षा के अनुसार, मूल्यांकन समिति उपयुक्त आयोग तथा परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाली इकाई को लिखित में अपनी मूल्यांकन रिपोर्ट तथा सिफारिशें प्रस्तुत करेगी।

5.4 उसके बाद इकाई पीएसडीएफ से निधियन के लिए योजना के विनियामक अनुमोदन हेतु उपयुक्त आयोग के पास याचिका दायर करेगी। विनियामक अनुमोदन अपेक्षित है क्योंकि स्कीम के कार्यान्वयन से प्रशुल्क पर प्रभाव पड़ेगा जोकि उपयुक्त आयोग के क्षेत्राधिकारी में है। उपयुक्त आयोग यह सुनिश्चित करेगा कि पीएसडीएफ से निधियन की गई योजना के भाग के लिए किसी प्रशुल्क का दावा नहीं किया गया है।

5.5 विनियामक अनुमोदन के पश्चात इकाई एनएलडीसी से सम्पर्क करेगी जोकि मूल्यांकन समिति के सचिवालय के रूप में काम करेगा। प्रशासनिक मंजूरी/अनुमोदन और निधिनिर्मुक्त करने के लिए एनएलडीसी परियोजनाएं विद्युत मंत्रालय को अग्रेषित करेगी।

5.6 निगरानी समिति मंजूरी/अनुमोदन के लिए मौजूदा नियमों/अनुदेशों के अनुसार उपयुक्त आयोग की मूल्यांकन रिपोर्ट और विनियामक अनुमोदन के आधार पर मंजूरी हेतु परियोजनाओं पर विचार करेगी और राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना(आरजीजीवीवाई) स्कीम और आर-एपीडीआरपी स्कीम की तर्ज पर निधि निर्मुक्त करेगी। पीएसडीएफ से निधि का निर्मुक्त करना इस संबंध में वित्त मंत्रालय के मौजूदा अनुदेशों के अनुसार विनियमित किया जाएगा।

acer

5.7 निगरानी समिति दिशा-निर्देश जारी करने/समय-समय पर संशोधित करने के अतिरिक्त स्कीम के कार्यान्वयन की निगरानी भी रखेगी। समिति के पास लागत मानदण्डों के बेंचमार्क की समीक्षा करने तथा उन्हें संशोधित करने की शक्तियां भी होंगी। किसी दूसरी मौजूदा स्कीम को दोहराने से बचने के लिए काफी सावधानी बरती जाएगी और सम्यक विवेक का परिचय दिया जाएगा।

5.8 परियोजनाओं के लिए आवेदक इकाइयों को आगे संवितरण हेतु सार्वजनिक खाते से एनएलडीसी को निधि की निर्मुक्ति अपेक्षित व्यय नियंत्रण की कार्रवाई करने के पश्चात की जाएगी बशर्ते स्कीम के लिए विद्युत मंत्रालय की अनुदान मांगों में निधियों का पर्याप्त प्रावधान किया गया हो।

6. **सहायता पद्धति**

निधियन निधियों की उपलब्धता की शर्त पर अनुदान के रूप में होगा। अनुदान की मात्रा परियोजना के कार्यनीतिक महत्व और आकार पर निर्भर करेगी और सीईआरसी(पीएसडीएफ) विनियम के अनुसार जारी किए जाने हेतु विचार किया जाएगा। केंद्र सरकार सीईआरसी के परामर्श से इस संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश निर्धारित करेगी।

7. परिसम्पत्तियों का निष्पादन, प्रचालन एवं रख-रखाव

समय-समय पर यथासंशोधित,सीईआरसी (पीएसडीएफ) विनियमों के अनुसार इसके संपूर्ण तकनीकी जीवनकाल के लिए अपनी परियोजनाओं के निष्पादन के साथ-साथ प्रचालन एवं अनुरक्षण क लिए परियोजना(परियोजनाएं) को प्रस्तुत करने वाले इन्टिटी जिम्मेवार होंगे।

8. पीएसडीएफ से संवितरण के लिए पीएसडीएफ बजट एवं लेखा की तैयारी, उपयोग प्रमाणपत्र, सहायक अभिलेख और आवश्यक दस्तावेज तैयार करनाः-

बजट, पीएसडीएफ सार्वजनिक लेखा-खातों से प्राप्ति/संवितरण का लेखांकन, उपयोग और लेखा परीक्षा आदि की तैयारी के लिए विस्तृत प्रक्रिया भारत सरकार के मौजूदा अनुदेशों के अनुसार अंतिम रूप से निर्धारित की जाएगी।

9. परियोजनाओं/स्कीमों का कार्यान्वयन, निगरानी और नियंत्रण

9.1 अंतरराज्यीय प्रणाली के लिए क्षेत्रीय विद्युत समितियां, पारेषण लाइसेंसियों, वितरण लाइसेंसियों, भारप्रेषण केंद्रों, विद्युत विनिमय, केंद्रीय पारेषण यूटिलिटी (सीटीयू), राज्य पारेषण यूटिलिटियों (एसटीयू) जोकि मामले के अनुसार, आईएसटीएस से आनुषांगिक होते हैं, कार्यान्वयन एजेंसी होंगी। विद्युत मंत्रालय क परामर्श से मूल्यांकन समिति स्कीम के तहत निधियन की गई परियोजनाओं की प्रत्येक श्रेणियों के लिए उद्देश्य मात्रायोग्य वित्तीय और तकनीकी निष्कर्ष पैरामीटरों के निर्धारण द्वारा परियोजनाओं के कार्यान्वयन के मूल्यांकन हेतु एक तंत्र तैयार करेगी।

9.2 परियोजनाओं/योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी और कार्यान्वयन में चूक एवं विलंब होने के मामले में कार्रवाई की जाने वाली सिफारिश हेतु मूल्यांकन समिति सीईए से निदेशक स्तर और सीटीयू से महाप्रबंधक स्तर के अधिकारियों का एक समूह गठित कर सकती है। अधिकारियों का समूह मूल्यांकन समिति तथा विद्युत मंत्रालय को तिमाही आधार पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट के साथ निगरानी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

acer

10. वार्षिक रिपोर्टः

केंद्र सरकार और उपयुक्त आयोग को तुलनपत्र ओर लेखापरीक्षित-खातों के साथ वर्ष के दौरान किए गए कार्यों सहित निधि की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। वार्षिक रिपोर्ट विद्युत मंत्रालय के जरिए संसद के दोनों सदनों के सभापटल पर रखी जाएगी।

******

.

अनुबंध-I

मूल्यांकन समिति का गठन निम्नानुसार किया जाएगाः-

1. अध्यक्ष, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण	अध्यक्ष
2. संयुक्त सचिव, ओ एम,विद्युत मंत्रालय	सदस्य
3. सचिव, सीईआरसी	सदस्य
4. सीईओ, पोसोको	सदस्य
5. परियोजना प्रस्तावक	विशेष आमंत्रित (मूल्यांकन के लिए)
6. एनएलडीसी के प्रमुख द्वारा नामांकित एनएलडीसी का एक अधिकारी जो महाप्रबंधक रैंक से नीचे का नहीं हो।	सदस्य सचिव

टिप्पणीः विद्युत प्रणाली विंग में सीईए मूल्यांकन समिति को आवश्यक सहायता प्रदान करेगा।

******

अनुबंध -II

निगरानी समिति का गठन निम्नानुसार किया जाएगाः-

1. सचिव, विद्युत मंत्रालय	अध्यक्ष
2. अपर सचिव, विद्युत मंत्रालय	सदस्य
3. अध्यक्ष, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण	सदस्य
4. प्रमुख सलाहकार(ऊर्जा), योजना आयोग	सदस्य
5. संयुक्त सचिव, पारेषण, विद्युत मंत्रालय	सदस्य
6. संयुक्त सचिव, वित्त मंत्रालय(व्यय विभाग)	सदस्य
7. संयुक्त सचिव, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	सदस्य
8. संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार(जेएस एंड एफए) विद्युत मंत्रालय	सदस्य
9. सीईओ, पोसोको	सदस्य-सचिव

****

acer

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
....
लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या-338
जिसका उत्तर 13 फरवरी, 2014 को दिया जाना है।

अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजनाएं

***338. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादमः**
श्री बलीराम जाधवः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजनाओं के लिए मानक बोली दस्तावेजों को संशोधित किया है अथवा संशोधित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कारण क्या हैं;

(ग) मानक बोली दस्तावेजों में ऐसेसंशोधनकरने संबंधी उद्देश्य अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजनाओं के लिए किस सीमा तक सहायक होंगे अथवा लाभदायक होंगे;

(घ) प्रत्येक अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजना की बोली की प्रक्रिया को कब तक अंतिम रूप दे दिया जाएगा; और

(ङ) अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजना के त्वरित क्रियान्वयन के लिए परियोजना–वार अन्य क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

(क) से (ङ) :विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

*****

acer

विवरण

अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजनाओंके संबंध में दिनांक 13.02.2014 को लोकसभा में उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 338 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

****

(क) : जी हाँ । अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट्स (यूएमपीपी) के लिए मानक बोली दस्तावेज (एसबीडी) को विभिन्न पणधारियों से परामर्श करकेअधिकारप्राप्त मंत्री समूह (ईजीओएम) के अनुमोदन से दिनांक 20 सितम्बर, 2013 से संशोधित किया गया है।

(ख) और (ग) : यूटिलिटियों और निवेशकर्ताओं के हितों को संतुलित रखते हुए, सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) की जटिलताओं को दूर करने के लिए आवश्यक व्यापक नीति और विनियामक कार्यढाँचा प्रदान करने के लिए यूएमपीपी हेतु मानक बोली दस्तावेजों को संशोधित किया गया है। इन दस्तावेजों के माध्यम से, एक संविदागत कार्यढाँचेकी व्यवस्था की गई है जिससेअल्ट्रा मेगा आकार की उत्पादन परियोजनाओं के मुद्दों का समाधान होता है,और इसमें सभी पणधारियों के जोखिमों का इस प्रकार संतुलन बनाए रखा गया है कि विकास को तेज करने तथा सभी उपभोक्ताओं के लिए विद्युत वहनीय बनाने हेतु आवश्यक कम प्रशुल्क के लिए पर्याप्त प्रोत्साहन हों।

(घ) और(ङ) : मानक बोली दस्तावेजों के संशोधन के पश्चात, दो यूएमपीपी (ओडिशा में बेडाबहल यूएमपीपी और तमिलानाडु में चेय्यूर यूएमपीपी) के लिए बोली प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। दोनों परियोजनाओं के लिए अर्हता हेतु अनुरोध (आरएफक्यू) क्रमशः 25.09.2013 और 26.09.2013 को जारी किएजा चुके हैं। प्रस्ताव हेतु अनुरोध (आरएफपी) भी दिनांक 27.12.2013 को जारी कर दिए गए हैं। परियोजनाओं के लिए बोली की अंतिम तारीख 26.02.2014 है। अन्य यूएमपीपी की स्थापना के लिए निम्नलिखित स्थानों पर स्थलों को चिन्हित किया गया है:-

(i) सरगुजा जिला, छत्तीसगढ़ में।

(ii) ओडिशा में तटीय स्थान के लिए भद्रक जिले की चान्दबली तहसील में बिजोपटना में ।

acer

(iii) ओडिशा में भीतरी स्थान के लिए कालाहाण्डी जिले के नरला और कसिंगा उपखण्ड में ।

(iv) झारखण्ड में हुसैनाबाद, देवघर जिला।

(v) बिहार में ककवारा बांका जिले में।

(vi) कर्नाटक केनिड्डोडी गांव में।

तमिलनाडु और गुजरात में उनके दूसरे यूएमपीपी के लिए स्थलों की जांच सीईए/पीएफसी द्वारा की जा रही है। उपर्युक्त प्रस्तावित परियोजनाओं के लिए बोली प्रक्रिया कोयले की व्यवस्था करने और अन्य सभी तैयारी संबंधी कार्यकलापों को पूरा करने के पश्चात शुरू की जाएगी।

अब तक 4 यूएमपीपी,यथा- मध्य प्रदेश में सासन, गुजरात में मुंद्रा, आंध्र प्रदेश में कृष्णापट्टनम और झारखण्ड में तिलैया चिन्हित विकासकर्ताओं को पहले ही अवार्ड की जा चुकी हैं। मुंद्रा यूएमपीपी के सभी 5 यूनिट चालू कर दिए गए हैं और सासन यूएमपीपी की पहली दो यूनिटें (2x660 मेगावाट) चालू कर दी गई हैं। प्रत्येक यूएमपीपी का परियोजना-वार और राज्य-वार ब्यौरा **अनुबंध** में दिया गया है। अवार्ड की गई परियोजनाओं की नियमित निगरानी के लिए संयुक्त निगरानी समितियां (जेएमसी)गठित की गई हैं जिनमेंकेंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) के सदस्य और प्रापक हैं।

****

acer

अनुबंध

लोक सभा में दिनांक 13.02.2014 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 338 के भाग (घ) और (ङ)के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

क. अवार्ड किए गए यूएमपीपी

क्रम. सं.	यूएमपीपी	प्रस्तावित क्षमता (मेगावाट)	स्थान	स्थिति
मध्य प्रदेश				
1	सासन (6x660 मेगावाट)	6x660= 3960	जिला सिंगरौली में सासन	परियोजना दिनांक 7.8.2007 को मैसर्स रिलायन्स पावर लिमिटेड को अवार्ड और अंतरित की गई। प्रथम दो यूनिट (2x660 मेगावाट) चालू हो गई है।
गुजरात				
2	मुन्द्रा (5x800 मेगावाट)	5x800= 4000	जिला कच्छ में टुण्डावन्द गांव में मुन्द्रा	परियोजना दिनांक 24.4.2007 को मैसर्स टाटा पावर लिमिटेड को अवार्ड और अंतरित की गई। मुंद्रा की 5 इकाइयां चालू हो गई हैं।
आंध्र प्रदेश				
3	कृष्णापटनम (6x660 मेगावाट)	6x660= 3960	जिला नेल्लौर में कृष्णापटनम	परियोजना दिनांक 29.01.2008 को मैसर्स रिलायंस पावर लिमिटेड को अवार्ड और अंतरित की गई। आरपीएल ने इंडोनेशिया में कोयले की कीमत के नए विनियम को दर्शाते हुए कार्य स्थल पर काम रोक दिया है। प्रापकों ने दिनांक 15.3.12 को कोस्टल आंध्रा पावर लिमिटेड (सीएपीएल), रिलायंस पावर कंपनी को समाप्ति की सूचना जारी की। सीएपीएल दिल्ली के माननीय उच्च न्यायालय में चला गया है। न्यायालय ने सीएपीएल की याचिका को खारिज कर दिया है। सीएपीएल ने अब डिविजन बेंच, दिल्ली उच्च न्यायालय और भारतीय माध्यस्थम परिषद में याचिका दाखिल की है। यह मामला न्यायाधीन है।
झारखण्ड				
4	तिलैया (6x660) मेगावाट	6x660= 3960	हजारीबाग तथा कोडरमा जिले में तिलैया गांव के निकट	परियोजना मैसर्स रिलायन्स पावर लिमिटेड को 7.8.2009 को अवार्ड और अंतरित की गई। संयंत्र का निर्माण रुका हुआ है क्योंकि झारखण्ड सरकार द्वारा विकासकर्ता को भूमि नहीं सौंपी गई है।

acer

ख. अन्य यूएमपीपी

ओडिशा			
5	बेडाबहल	सुन्दरगढ़ जिले में बेडाबहल के निकट	दिनांक 27.12.2013 को प्रस्ताव के लिए अनुरोध जारी कर दिया गया है।
6	ओडिशा में पहला अतिरिक्त यूएमपीपी	तटीय स्थल के लिए भद्रक जिले की चांदबली तहसील में बिजोयपाटना में।	स्थल चिह्नित किया गया है।
7	ओडिशा में दूसरा अतिरिक्त यूएमपीपी	भीतरी स्थान हेतु कालाहाण्डी जिले की नारला और कसिंगा सब डिविजन में	स्थल चिह्नित किया गया है।
छत्तीसगढ़			
8	छत्तीसगढ़	जिला सरगुजा में सलका और खमरिया गांवों के समीप	मार्च, 2010 में आरएफक्यू जारी किया गया और कोयला ब्लॉक अनुलंघनीय क्षेत्रों में होने के कारण अक्टूबर, 2013 में वापस ले लिया गया ।
तमिलनाडु			
9	तमिलनाडु	गांव चेय्यूर, जिला कांचीपुरम	दिनांक 27.12.2013 को प्रस्ताव के लिए अनुरोध जारी कर दिया गया है।
10	तमिलनाडु का दूसरा यूएमपीपी	स्थल को अंतिम रूप नहीं दिया गया है।	--
झारखण्ड			
11	झारखंड का दूसरा यूएमपीपी	हुसैनाबाद, देवघर जिले में	स्थल चिन्हित किया गया है।
गुजरात			
12	गुजरात का दूसरा यूएमपीपी	अंतिम रूप नहीं दिया गया है।	--
कर्नाटक			
13	कर्नाटक	राज्य सरकार ने मंगलोर तालुका, दक्षिण कन्नड़ जिले के निड्डोडी गांव में उपयुक्त स्थल चिन्हित किया है।	कर्नाटक सरकार को सीईए द्वारा स्थल दौरे से संबंधित रिपोर्ट भेज दी गई जिसमें उन्होंने स्थल से संबंधित मुद्दों का उल्लेख किया है और मामले का जल्द समाधान करने का अनुरोध किया है।
महाराष्ट्र			
14	महाराष्ट्र	अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।	स्थानीय लोगों के प्रतिरोध के कारण स्थल का निर्धारण नहीं हो सका।
बिहार			
15	बिहार	बांका जिले के ककवारा में	स्थल चिन्हित किया गया है।
आंध्र प्रदेश			
16	आन्ध्रप्रदेश का दूसरा यूएमपीपी	गांव न्यूनिपल्ली, जिला प्रकाशम, आन्ध्रप्रदेश	इस परियोजना को बंद कर दिया गया है क्योंकि आंध्र प्रदेश सरकार ने परियोजना पर आगे कार्यवाही न करने का निर्णय लिया है।

****

acer

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
....
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-3546
जिसका उत्तर 13 फरवरी, 2014 को दिया जाना है।

निर्धारित कोटे से अधिकविद्युत का लिया जाना

3546. श्री पी॰ कुमारः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या विभिन्न राज्य सरकारों की ओर से विद्युत ग्रिड द्वारा उनकी विद्युत आवश्यकताओं की पूर्ति न किए जाने के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कदम उठाए जा रहे हैं/उठाए जाने प्रस्तावित हैं;

(ग) क्या विद्युत ग्रिड को इस हेतु उपयुक्त उपाय करने और प्रत्येक राज्य को आबंटित मात्रा से अधिकविद्युत न लेने के लिए कहा गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

(क) और (ख)-राज्यों की विद्युत आवश्यकताओं को पावर ग्रिड द्वारा पूरा नहीं करने के संबंध में विभिन्न राज्य सरकारों से विद्युत मंत्रालय में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है ।

(ग) और (घ)- पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पीजीसीआईएल) के पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी, पावर सिस्टम ऑपरेशन कारपोरेशन लिमिटेड (पोसोको) संघटकों द्वारा अधिक निकासी किए जाने के बारे में केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) (भारतीय विद्युत ग्रिड संहिता) (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2014 तथा (विचलन निपटान तंत्र तथा संबंधित मामले) विनियम, 2014 के अनुसार उपयुक्त उपाय कर रहा है ।

****

acer

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
....
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-3552
जिसका उत्तर 13 फरवरी, 2014 को दिया जाना है।

टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा निधि का आबंटन

3552. श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी शाहः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (टी॰एच॰डी॰सी॰) प्रत्येक वर्ष सामाजिक परियोजनाएं चलाने के लिए निधि का आवंटन करता है;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा किए गए उक्त आबंटन और खर्च का परियोजना–वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने उत्तराखण्ड के टिहरी क्षेत्र में डोगरा–चट्टी सहित अन्यत्र पुलों के निर्माण के लिए भी निधि जारी की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) ऐसे पुलों का ब्यौरा क्या है, जिनके डिजाइन अभी तक अनुमोदित नहीं किए गए हैं?

उत्तर

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

(क) और (ख) : टीएचडीसीआईएल कारपोरेट सामाजिक दायित्व के अंतर्गत सामाजिक परियोजनाएं संचालित करने के लिए प्रत्येक वर्ष निधियां आबंटित करता है। टीएचडीसी ने वर्ष 2010-11, 2011-12 और 2012-13 के लिए क्रमशः 981 लाख रुपए, 1358 लाख रुपए और 1605 लाख रुपए आबंटित किए हैं। पिछले तीन वर्षों में व्यय की गई धनराशि का शीर्ष-वार ब्यौरा निम्नानुसार हैः-

क्रम सं.	शीर्ष	खर्च (लाख रुपए में)		
		2010-11	2011-12	2012-13
1.	शिक्षा विकास	95.57	30.43	25.38
2.	पर्यावरण प्रबंधन	17.78	18.34	10.89
3.	स्वास्थ्य एवं पशु चिकित्सा	35.51	18.16	25.41
4.	आय सृजन एवं महिला सशक्तिकरण	189.06	187.46	90.65

acer

5.	अवसंरचना विकास	196.31	397.77	125.04
6.	अन्य कल्याणकारी कार्यकलाप	29.43	71.60	33.54
7.	विविध	71.19	16.09	23.78
8.	टीएचडीसी इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रो पावर इंजीनियरिंग एण्ड टैक्नोलॉजी का निर्माण	-	485.63	1359.31
9.	टीएचडीसी शिक्षा समिति (टीईएस)	342.01	279.04	290.00
	कुल कारपोरेट सामाजिक दायित्व खर्च	**976.86**	**1504.52**	**1984.00**

(ग) और (घ) : टीएचडीसीआईएल ने नीचे दिए गए ब्यौरे के अनुसार उत्तराखण्ड के टिहरी क्षेत्र में पुलों के निर्माण के लिए निधियां जारी की हैं

(रुपए करोड़ में)

पुल का नाम	**टीएचडीसीआईएल द्वारा जारी की गई निधि**
भागीरथी घाटी में सियान्सू में हल्के मोटर पुल	9.00
भिलंगना घाटी में पिपलदली में हल्के मोटर पुल	12.00
टिहरी और कोटेश्वर के बीच भसौन में हल्के मोटर पुल	9.59
दोबरा-चंटी भारी मोटर वाहन पुल	77.00
चिनियालीसोर हल्के वाहन पुल, भागीरथी घाटी	17.50
घोंटी हल्के वाहन पुल, भिलंगना घाटी	11.20

(ङ) : डिजाइन सहित पुलों का निर्माण टीएचडीसीआईएल द्वारा पूर्ण/आंशिक वित्त पोषण से पुनर्वास निदेशालय उत्तराखण्ड सरकार द्वारा किया गया है।

****

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
....
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-3567
जिसका उत्तर 13 फरवरी, 2014 को दिया जाना है।

विद्युत अधिनियम, 2003 में प्रावधान

3567. श्री रतन सिंहः
श्री अंजनकुमार एम॰ यादवः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा14 के अंतर्गत एक से अधिकविद्युत वितरण कंपनियां एक ही क्षेत्र में संचालन कर सकती हैं;

(ख) यदि हां, तो देश में उन क्षेत्रों के नाम क्या हैं जिनमें एक से अधिकविद्युत कंपनियां कार्यरत हैं;

(ग) क्या यह सच है कि उपरोक्त धारामें वर्णित कई शर्तों के कारण एक ही क्षेत्र में एक से अधिकनिजी विद्युत वितरण कंपनियां लाइसेंस पाने में असमर्थ हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या सुधारात्मककदम उठाए गए हैं?

उत्तर

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

(क)- जी, हां । विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 14 के छठे परंतुक के अनुसार, उपयुक्त आयोग एक ही क्षेत्र के भीतर विद्युत के वितरण के लिए दो अथवा दो से अधिक व्यक्तियों को लाइसेंस दे सकता है ।

(ख)- केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण तथा केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग से प्राप्त सूचना के अनुसार मुंबई और जमशेदपुर में एक ही क्षेत्र में एक से अधिक वितरण लाइसेंसी प्रचालनरत हैं ।

(ग) और (घ)-उपर्युक्त भाग (ख) के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न नहीं उठता ।

****

acer

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
....
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-3570
जिसका उत्तर 13 फरवरी, 2014 को दिया जाना है।

विद्युत आपूर्ति

3570. श्री अशोक कुमार रावतः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार से राज्य में निर्माणाधीन केंद्रीय विद्युत परियोजनाओं से कम से कम 75 प्रतिशत विद्युत राज्य को देने संबंधी कोई प्रस्ताव प्राप्त किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केंद्र सरकार ने इस प्रस्ताव पर कोई प्रतिक्रिया दी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इस संबंध में विलंब के क्या कारण हैं?

उत्तर

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

(क) और (ख)- उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव ने प्रधानमंत्री कार्यालय को सम्बोधित दिनांक 24.07.2012 के अ0शा0 पत्र संख्या 2037/24-1-12-2595/2008 टीसी-1 के माध्यम से अनुरोध किया था कि घाटमपुर, कानपुर में नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लिमिटेड और उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित की जा रही 3ग660 मे0वा0 की प्रस्तावित परियोजना और जिसमें एनएलसी और यूपीआरयूवीएनएल के बीच 51:49 की इक्विटी भागीदारी है, से उत्पादित विद्युत का 75% उत्तर प्रदेश को विशेष वितरण के रूप में आबंटित किया जाए ।

(ग) और (घ)-केन्द्रीय पीएसयू सहित संयुक्त उद्यम परियोजनाओं के लिए विद्युत के आबंटन के वास्ते मौजूदा नीति दिशा-निर्देशों के अनुसार उत्तर प्रदेश को 64% विद्युत के आबंटन का परिकलन किया गया है ।

****

acer

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
....
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-3571
जिसका उत्तर 13 फरवरी, 2014 को दिया जाना है।

विद्युत उत्पादन और उपभोग का आकलन

†3571. श्री एन॰ पीताम्बर कुरूपः
श्री एस॰आर॰ जेयदुरईः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार/केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विद्युत उत्पादन को बढ़ाने एवं विद्युत खपत के संबंध में निर्धारित लक्ष्यों संबंधी संभावित उपलब्धि का मूल्यांकन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने वर्ष 2013–14 के दौरान विद्युत उत्पादन में गिरावट की भविष्यवाणी की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मककार्यवाही की गई है/की जा रही है?

उत्तर

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

(क)और(ख)-12वीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान परम्परागत स्रोतों से 88,537 मेगावाट क्षमता अभिवृद्धि लक्ष्य की योजना बनाई गई हैं । 31.01.2014 की स्थिति के अनुसार, 30,050.8 मेगावाट की क्षमता अभिवृद्धि हासिल कर ली गई है । 18वें इलैक्ट्रिक पावर सर्वे(ईपीएस) के अनुसार, 12वीं योजनावधि के लिए अखिल भारतीय ऊर्जा आवश्यकता और खपत पूर्वानुमान के वर्ष-वार ब्यौरे निम्नानुसार है-

(मिलियन यूनिट में)

अखिल भारतीय	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
ऊर्जा आवश्यकता	10,07,694	10,84,610	11,67,731	12,57,589	13,54,874
खपत	7,64,263	8,36,224	9,15,249	10,01,244	10,98,995

(ग)से(ङ)- अप्रैल-दिसम्बर, 2013 के दौरान 725.678 बीयू के लक्ष्य की तुलना में, 0.58% की कमी के साथ सकल विद्युत उत्पादन 721.467 बीयू था । लक्ष्य पूरे नहीं होने के मुख्य कारण हैं राज्यों द्वारा कम मांग होने के कारण विद्युत संयंत्र बंद होना अथवा आंशिक भार पर प्रचालन होना और कुडनकुलम एटॉमिक पावर स्टेशन का चालू न होना ।

****

acer

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
....
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-3574
जिसका उत्तर 13 फरवरी, 2014 को दिया जाना है।

जनजातीय और भूमि से बेदखल किए गए लोगों को प्रशिक्षण

†3574. श्री हेमानंद बिसवालः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या विद्युत क्षेत्र के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का विचार खनन एवं विद्युत परियोजनाओं में जनजातीय और भूमि से बेदखल किए गए लोगों को प्रशिक्षण देने हेतु कोई योजना शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा प्रशिक्षित किए गए लड़कियों/लड़कों की संख्या कितनी है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

(क) से (ग) : सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

****

acer

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
....
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-3577
जिसका उत्तर 13 फरवरी, 2014 को दिया जाना है।

राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम की तापीय विद्युत परियोजनाएं

3577. श्री रमाशंकर राजभरः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एन॰टी॰पी॰सी॰) ने 12वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान उत्तर प्रदेश और बिहार सहित देश में ताप विद्युत परियोजनाओं की स्थापना के लिए वृहद निवेश करने की घोषणा की है; और

(ख) यदि हां, तो राज्य/संघ राज्यक्षेत्र–वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

(क) और (ख)- 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उत्तर प्रदेश और बिहार सहित देश में ताप विद्युत परियोजनाएं स्थापित करने के लिए एनटीपीसी, इसके संयुक्त उद्यमों और सहायक कंपनियों की निवेश संबंधी पहलों के राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरे **अनुबंध** में दिए गए हैं ।

****

acer

अनुबंध

लोक सभा में दिनांक 13.02.2014 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 3577 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

****

एनटीपीसी और इसकी संयुक्त उद्यम ताप विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा

क. 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पहले ही चालू की जा चुकी क्षमता- 5430 मेगावाट

क्रम सं.	परियोजना	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	क्षमता(मेगावाट)
1.	बाढ़-II यू #4	बिहार	660
2.	सीपतयू #3	छत्तीसगढ़	660
3.	झज्जरयू #3	हरियाणा	500
4.	विंध्याचलयू #11	मध्य प्रदेश	500
5.	विंध्याचलयू #12	मध्य प्रदेश	500
6.	मौदायू #1	महाराष्ट्र	500
7.	मौदायू #2	महाराष्ट्र	500
8.	वैल्लूर ,चरण-I, यू #2	तमिलनाडु	500
9.	रिहन्दयू #5	उत्तर प्रदेश	500
10.	रिहन्दयू #6	उत्तर प्रदेश	500
11.	मुजफ्फरपुरयू #1	बिहार	110*

- मुजफ्फरपुर टीपीएस(केबीयूएनएल) की यूनिट-1 आर एंड एम के बाद नवंबर, 2013 में पुनः चालू की गई

ख. 12वीं/13वीं पंचवर्षीय योजना में चालू किए जाने हेतु संभावित निर्माणाधीन क्षमता-17820 मेगावाट

क्रम सं.	परियोजना	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	क्षमता(मेगावाट)
एनटीपीसी के स्वामित्व वाली परियोजनाएं			
1.	बोंगईगांव	असम	750
2.	बाढ़ -I	बिहार	1980
3.	बाढ़ -II	बिहार	660
4.	लारा-I	छत्तीसगढ़	1600
5.	कुडगी-I	कर्नाटक	2400
6.	विंध्याचल-V	मध्य प्रदेश	500
7.	गडरवाड़ा-I	मध्य प्रदेश	1600
8.	मौदा-II	महाराष्ट्र	1320
9.	सोलापुर	महाराष्ट्र	1320
10.	ऊंचाहार-IV	उत्तर प्रदेश	500
सहायक कंपनी/संयुक्त उद्यम परियोजनाएं			
11.	नबीनगर, बीआरबीसीएल	बिहार	1000
12.	मुजफ्फरपुरएक्सपैं-काँटी, केबीयूएनएल	बिहार	390
13.	नबीनगर, एनपीजीसीपीएल	बिहार	1980
14.	वैल्लूर– चरण. II , एनटीईसीएल	तमिलनाडु	500
15.	मेजा, एमयूएनपीएल	उत्तर प्रदेश	1320

ग. 13वीं योजना में चालू किए जाने हेतु टेंडर के अधीन क्षमता- 4900 मेगावाट

क्रम सं.	परियोजना	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	क्षमता(मेगावाट)
1	नार्थ करनपुरा	झारखण्ड	1980
2	दारलीपल्ली-I	ओडिशा	1600
3	टांडा-II	उत्तर प्रदेश	1320

****

acer

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
....
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-3586
जिसका उत्तर 13 फरवरी, 2014 को दिया जाना है।

मुक्त पहुंच की नीति

†3586. श्री एम॰ कृष्णास्वामीः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या 1 मेगावाट से कम मांग वाले खुदरा बिजली उपभोक्ता मुक्त पहुंच की नीति (ओपन एक्सेस पॉलिसी) के सबसे बड़े लाभार्थी साबित होंगे; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

(क) और (ख): विद्युत अधिनियम, 2003 में खुली पहुंच को "उपयुक्त आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट विनियमों के अनुरूप उत्पादन में लगे हुए किसी लाइसेंसी या उपभोक्ता या व्यक्ति द्वारा पारेषण लाइनों या वितरण प्रणाली या इन लाइनों से संबद्ध सुविधाओं के उपयोग के लिए पक्षपात रहित प्रावधान" के रूप में परिभाषित किया गया है।

उपभोक्ताओं को खुली पहुंच से वितरण क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा की शुरूआत होना अपेक्षित है और इसके परिणामस्वरूप बाजार अन्वेषित प्रशुल्क की व्यवस्था में, एक मेगावाट से कम मांग वाले उपभोक्ताओं सहित, सभी श्रेणियों के लिए उपभोक्ता को लाभ होने की संभावना है।

विनियामक मंच सचिवालय के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार, 28 राज्यों में से 27 राज्यों में संबंधित राज्य विनियामक आयोगों द्वारा खुली पहुंच विनियम अधिसूचित किए गए हैं और इनका ब्यौरा **अनुबंध** में दिया गया है।

****

acer

अनुबंध

लोक सभा में दिनांक 13.02.2014 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 3586 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

क्रम सं.	राज्य (एसईआरसी)*	खुली पहुँच विनियमों की अधिसूचना
1.	आंध्र प्रदेश	हां
2.	अरुणाचल प्रदेश	हां
3.	असम	हां
4.	बिहार	हां
5.	छत्तीसगढ़	हां
6.	दिल्ली	हां
7.	गुजरात	हां
8.	हरियाणा	हां
9.	हिमाचल प्रदेश	हां
10.	जम्मू व कश्मीर	हां
11.	झारखण्ड	हां
12.	कर्नाटक	हां
13.	केरल	हां
14.	मध्य प्रदेश	हां
15.	महाराष्ट्र	हां
16.	मेघालय	हां
17.	नागालैंड	हां
18.	ओडिशा	हां
19.	पंजाब	हां
20.	राजस्थान	हां
21.	सिक्किम	-
22.	तमिलनाडु	हां
23.	त्रिपुरा	हां
24.	उत्तर प्रदेश	हां
25.	उत्तराखण्ड	हां
26.	पश्चिम बंगाल	हां
27.	जेईआरसी-गोआ और संघ राज्य क्षेत्र	हां
28.	जेईआरसी-मणिपुर और मिजोरम	हां
	कुल	27

* राज्य विद्युत विनियामक आयोग

** खुली पहुँच

****

acer

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
....
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-3620
जिसका उत्तर 13 फरवरी, 2014 को दिया जाना है।

विज्ञापन जारी करना

†3620. श्री ताराचन्द भगोराः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या भारतीय पावर ग्रिड निगम लिमिटेड (पी॰जी॰सी॰आई॰एल॰) ने स्मारिकाओं और विवरणिकाओं सहित सरकार द्वारा निरनुमोदित प्रकाशनों को विज्ञापनों के माध्यम से अत्यधिक धनराशि का भुगतान किया है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान सरकार द्वारा अनुमोदित और सरकार द्वारा निरनुमोदित दोनों प्रकार के प्रकाशनों, स्मारिकाओं और विवरणिकाओं पर व्यय किये गये धन का ब्यौरा क्या है और उनके नाम तथा जारी किये गये विज्ञापनों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या निरनुमोदित प्रकाशनों/स्मारिकाओं/विवरणिकाओं का समर्थन करना सरकार द्वारा निर्धारित वित्तीय औचित्य नियमों के विरुद्ध है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में पी॰जी॰सी॰आई॰एल॰ के उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है/की जा रही है?

उत्तर

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

(क) और (ख) : पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड (पीजीसीआईएल) सामान्यतः भारतीय समाचार पत्रों के रजिस्ट्रार द्वारा यथानुमोदित प्रकाशनों हेतु विज्ञापन जारी करती है। स्मारिकाएं और विवरणिकाएं आर एन आई प्रकाशनों के अंतर्गत शामिल नहीं होती है। तथापि, कारपोरेट छवि निर्माण/प्रचार उद्देश्य इत्यादि के लिए पीजीसीआईएल समय-समय पर स्मारिकाओं और विवरणिकाओं हेतु भी विज्ञापन जारी करता है। विगत तीन वर्षों के दौरान संगठनों, स्मारिकाओं, विवरणिकाओं इत्यादि के लिए जारी किए गए विज्ञापनों का ब्यौरा, उनके नाम और विज्ञापनों की राशि सहित **अनुबंध** में हैं।

(ग) से(ङ) : पीजीसीआईएल द्वारा जारी किए गए विज्ञापन समाज के विभिन्न खंडों में सार्वजनिक जागरुकता सृजित करने, कारपोरेट छवि निर्माण और कंपनी की ब्रांडिंग में सहायक होते हैं।

*****

acer

अनुबंध

लोक सभा में दिनांक 13.02.2014 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 3620 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

****

वर्ष 2010-11 में पावर ग्रिड द्वारा विज्ञापन

क्रम सं.	समाचार-पत्र/मैग्जीन/स्मारिका का नाम	राशि रुपए में
1	एल.बी. एसोसिएटेड	5,00,000
2	उत्तर भारत	50,000
3	राष्ट्रीय संस्कृति	50,000
4	अभिज्ञानम	50,000
5	वृहन महाराष्ट्र मंडल	50,000
6	वामा	1,50,000
7	भारतीय मजदूर संघ	30,000
8	टुडेज इकोनोमिक्स	50,000
9	दैनिक यशवंत	30,000
10	न्यू अप्रोच	80,000
11	शंकरा इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्नोलॉजी	1,50,000
12	द यूनियन एकेडमी	35,000
13	द कम्प्लीट विजन	25,000
14	दुर्गापुर रीजनल इंजीनियरिग कॉलेज एल्युमनाई एसोसिएशन	10,000
15	अपनी पाठशाला फाउंडेशन	20,000
16	कालादारप्पनम	10,000
17	न्यू डेली नारी उद्घोष	1,80,000
18	द हिन्दू	30,000
19	शातिया अमृत	35,000
20	द फैमिली इण्डिया (मोटोस इण्डिया)	10,000
21	परफेक्ट 10 एडवरटाइजमेंट	3,00,900
22	पार्लियामेंट स्ट्रीट	50,000
23	उपभोक्ता चिंता	50,000
24	ग्रीन पोस्ट	30,000
25	नॉर्थ ईस्ट पावर न्यूज	35,000
26	क्रिएशन डांस ट्रूप	20,000
27	तरुण दुनिया	30,000
28	स्वदेश प्रेम जागृति संगोष्ठी-2010	20,000
29	संस्कृति	20,000
30	इण्डिया फाउंडेशन फॉर एजुकेशन एण्ड डेवलेपमेंट	60,000
31	सुरोतीरथो	1,500
32	महिला म्हरतीय भाषा एण्ड साक्षरता संस्थान	60,000
33	बिजनेस स्टैंडर्ड	80,000
34	भारतीय भाषा एण्ड संस्कृति केंद्र	50,000
35	पांधरी संचार	31,360
36	दिल्ली वेटेरन फुटबॉल क्लब	11,000
37	अंतिम विकल्प	30,000
38	द्रौपदी ट्रस्ट	27,000
39	आसाप मीडिया प्राइवेट लिमिटेड	40,000
40	कैपिटल रिपोर्टर	30,000

acer

वर्ष 2010-11 में पावर ग्रिड द्वारा विज्ञापन

क्रम सं.	समाचार-पत्र/मैग्जीन/स्मारिका का नाम	राशि रुपए में
41	राजीव गांधी फोरम	40,000
42	स्कंदा पब्लिकेशन	40,000
43	इण्डिया इनर्जी फोरम	40,000
44	लोकायत	35,000
45	ह्यूमन टच	40,000
46	आज का अध्ययन	40,000
47	द एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री ऑफ इण्डिया	35,000
48	ऑल इण्डिया जर्नलिस्ट एसोसिएशन	40,000
49	इंटीग्रेटेड डेटाबेस इण्डिया लिमिटेड	17,295
50	ऑल इण्डिया ओवरसीज बैंक एम्प्लॉइज यूनियन	3,000
51	दैनिक हिमाचल	1,00,000
52	बिजनेस बेरोन (मर्चेंट मीडिया लि.)	40,000
53	प्यूपिल्स विक्टरी	60,000
54	कौमुदी पब्लिक रिलेशन्स	20,000
55	इनर्जी एशिया	1,00,000
56	हास्य वसंत	60,000
57	सरोकार	25,000
58	टैप फाउंडेशन	20,000
59	कैंसर सहयोग	25,000
60	इण्डिया अपडेट	30,000
61	इण्डो न्यूज	30,000
62	उपभोक्ता चिंतन	60,000
63	जनतांत्रिक	20,000
64	सीड्स इण्डिया	2,50,000
65	डे आफ्टर	2,00,000
66	ऑल इण्डिया फिरोज गांधी मैमोरियल सोसायटी	25,000
67	वुश्व पत्रकार सदन	60,000
68	सबलोग	30,000
69	संद्रव	20,000
70	इण्डियन इंफ्रास्ट्रक्चर	80,000
71	राष्ट्रीय संस्कृति	40,000
72	एबीपी प्राइवेट लिमिटेड	40,000
73	पर्यावरण विमर्श	60,000
74	लिव पॉजिटिव (मगुस मीडिया प्रा. लि.)	50,000
75	पैन आईआईटी 2010	1,00,000
76	विदर्ब चंडिका	38,250
77	ब्राइट ग्रुप ऑफ पब्लिकेशन्स	40,000
78	आरंभ	75,000
79	साई पब्लिकेशन्स	25,000
80	एस.के. चौधरी ट्रस्ट	2,00,000
81	श्री अरबिंदो सोसायटी	15,000
82	स्टैंड (सोसायटी फॉर टैक्नोलॉजी एण्ड नेशनल डेवलेपमेंट)	30,000
83	महफिल-ए-अदब रस रंग	60,000
84	जीवन प्रेरणा	40,000
85	केसरी (मैनेजर केसरी)	80,000

acer

वर्ष 2010-11 में पावर ग्रिड द्वारा विज्ञापन

क्रम सं.	समाचार-पत्र/मैग्जीन/स्मारिका का नाम	राशि रुपए में
86	जेल्ट गीस्ट एशिया	40,000
87	सर्वजन सुख्य सेवा समिति	1,500
88	सबलोग	30,000
89	डब्ल्यूएनसीए (वर्किंग न्यूज कैमरामेन्स एसोसिएशन)	1,00,000
90	लाइफ पॉजिटिव	50,000
91	श्री अरबिंदो सोसायटी	15,000
92	सुशांत लोक कल्चरल सोसायटी	10,000
93	भारतीय मजदूर संघ	30,000
94	भारतीय विद्या भवन	30,000
95	अभिनव मीमांसा	15,000
96	जन जन तक	30,000
97	अरदसी	10,000
98	दिल्ली फाउंडेशन ऑफ डीफ वूमेन	20,000
99	वॉइस टुडे	80,000
100	चारू काउंसिल फाउंडेशन	30,000
101	शिल्पा विचित्रा	20,000
102	गढ़वाल मित्र समिति	20,000
103	इनर्जी एशिया	20,000
104	दिल्ली सहारा	30,000
105	इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी ऑफ इण्डिया	50,000
106	उधावना	30,000
107	एस.के. चौधरी ट्रस्ट	50,000
108	ह्यूमन फैक्टर (प्लानमैन मीडिया प्रा. लि.)	40,000
109	कार्टूनिस्ट इरफान (इरफान खान)	30,000
110	मिथिलोगोन	6,000
111	परिवर्तन जन कल्याण समिति	50,000
112	पर्यावरण एण्ड फोरेस्ट मिनिस्ट्री	75,000
113	गुरजर राष्ट्रवीणा	8,000
114	पटना फिल्मोत्सव (हीरावाल)	20,000
115	विश्वमुक्ति	1,00,000
116	स्कोप (केलीडोस्कोप)	60,000
117	भारतीय भाषा एण्ड संस्कृति केंद्र	50,000
118	नई सदी	40,000
119	रितुरंग	1,00,000
120	श्री सुबारमानिय समाज	50,000
121	न्यू डिस्कवरी	30,000
122	डेली पुधरी समाचार	25,000
123	श्री अम्बा जी माता ट्रस्ट	1,00,000
124	क्रेस्ट पब्लिकेशन	60,000
125	विनय नगर दुर्गा पूजा समिति	25,000
126	श्री श्री दुर्गा पूजा समिति	3,000
127	कुजाबन टाउनशिप पूजा समिति	15,000
128	सर्वोजनिन पूजा समिति	20,000
129	नोएडा बनगइया समिति	4,100
130	नविदेता इन्क्लेव पूजा समिति	3,000

acer

वर्ष 2010-11 में पावर ग्रिड द्वारा विज्ञापन

क्रम सं.	समाचार-पत्र/मैग्जीन/स्मारिका का नाम	राशि रुपए में
131	पश्चिम विहार बेंगाल एसोसिएशन	3,000
132	सर्वोजनिन पूजा परिषद	8,000
133	बीएमडी रोड दुर्गा पूजा समिति	4,000
134	तिमारपुर सिविल लाइन पूजा समिति	5,000
135	प्राची सर्वजनीन माताबंदना वेलफेयर सोसायटी	7,500
136	काली बारी सोसायटी	4,000
137	क्रेस्ट पब्लिकेशन	60,000
138	द्वारका कालीबारी	25,000
139	न्यू स्पेशल	20,000
140	इण्डियन ड्रीम	35,000
141	इण्डियन एक्सप्रेस	60,000
142	राष्ट्रीय सेवा एकेडमी	25,800
143	कर्नाटक हिन्दी एकेडमी, बैंगलोर	15,000
144	एसआरएम यूनिवर्सिटी	3,00,000
145	ग्रीन पोस्ट	1,00,000
146	ओएनजीसी (एक्स ओएनजीसी एक्जीक्यूटिव वेलफेयर एसोसिएशन)	30,.000
147	न्यू स्पेशल	20,000
148	इण्डियन ड्रीम	35,000
149	पॉलीवुड न्यू स्टार	40,000
150	थुरावूर महाक्षेत्र भक्तजन समिति	50,000
151	इंफा पब्लिकेशन	50,000
152	इण्डिया अपडेट	30,000
153	यूएसएम पत्रिका	20,000
154	वर्ल्ड अपडेट	10,000
155	न्यूज आई	28,000
156	ब्यूरोक्रेसी टुडे (आलिया प्रोडक्शन प्रा. लि.)	60,000
157	सुशांतलोक दुर्गा पूजा कमेटी	5,000
158	सम्भाषण संदेश	30,000
159	सर्जना	11,000
160	तस्वीर-ए-हिन्द	1,00,000
161	बोदता बंदना उत्सव	40,000
162	देशरत्न फाउंडेशन	30,000
163	इनर्जी इण्डिया	40,000
164	लक्ष्मी कुदरती टाईम्स	20,000
165	हिम प्रकाशन	20,000
166	अभिज्ञानम	50,000
167	भारतीय राजभाषा परिषद	50,000
168	ऑल इण्डिया पंत नगर एल्युमनी एसोसिएशन	40,000
169	इण्डियन काउंसिल ऑफ जॉरिस्ट्स	7,50,000
170	हिम प्रकाशन	20,000
171	अभिज्ञानम	50,000
172	भारतीय राजभाषा परिषद	50,000
173	इण्डियन काउंसिल ऑफ इंस्टीट्यूट	75,000
174	नेशनल समाचार ब्यूरो	25,000
175	गांधी जयंती समारोह ट्रस्ट	10,000

acer

वर्ष 2010-11 में पावर ग्रिड द्वारा विज्ञापन

क्रम सं.	समाचार-पत्र/मैग्जीन/स्मारिका का नाम	राशि रुपए में
176	दैनिक संध्या परदेश	30,000
177	ऑल इण्डिया स्मॉल एण्ड मीडियम न्यूज पेपर एडिटर्स	50,000
178	नई उम्मीदें	30,000
179	पार्लियामेंट स्ट्रीट	50,000
180	द सुप्रीम सेवियर	25,000
181	इंफा पब्लिकेशन	4,00,000
182	अनुपम राष्ट	30,000
183	विश्वशक्ति दर्पण	25,000
184	दिग्विजय	35,000
185	प्यूपिल मैटर्स (टेट्रा मीडिया प्रा. लि.)	40,000
186	बिजनेस प्रॉफिट	38,000
187	कौमी अखवार	32,000
188	महामना मालवीय मिशन	1,00,000
189	उपभोक्ता चिंतन	60,000
190	विश्वमुक्ति	50,000
191	दिल्ली सियासत	30,000
192	द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इण्डिया	1,50,000
193	इकोनॉमिक एण्ड पॉलिटिकल वीकली	20,000
194	यूएनआई गोल्डन जुबली सेलीब्रेशन्स एण्ड सोविनियर	1,00,000
195	34वीं ऑल इण्डिया ऑडिट एण्ड एकाउंटेंट्स ऑफिसर्स कांफ्रेंस	20,000
196	आनंदम	50,000
197	लोकसाथी	20,000
198	तथ्य भारती	25,000
199	आज का अध्ययन	80,000
200	ऑल इण्डिया डिफेंस एकाउंट्स डिपार्टमेंट एथलेटिक्स	30,000
201	रिसोर्स डाइजेस्ट	40,000
202	आईएनएस इण्डिया	40,000
203	क्रिएटिव न्यूज एण्ड न्यूज इंटरनेशनल	25,000
204	दालमाऊ मेल	20,000
205	व्यापार उद्योग समाचार	90,000
206	महावीर इंटरनेशनल	1,00,000
207	फोटोलवर्स	1,00,000
208	सीड्स इण्डिया (सादर इण्डिया)	6,00,000
209	संदर्भ मैग्जीन	20,000
210	रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन	10,000
211	इण्डिया अपडेट	40,000
212	ग्रीनटेक फाउंडेशन	20,000
213	स्वदेश	16,000
214	राष्ट्रीय संस्कृति	50,000
215	न्यू अप्रोच	1,00,000
216	द कैथेडरल चर्च ऑफ द रिडेम्पशन	3,000
217	अभिनव मीमांसा	10,000
218	कसीर फाउंडेशन	60,000
219	राजीव स्पोर्ट्स फाउंडेशन नागपुर	50,000
220	इण्डिया फाउंडेशन फॉर एजुकेशन एण्ड डेवलेपमेंट	60,000

acer

वर्ष 2010-11 में पावर ग्रिड द्वारा विज्ञापन

क्रम सं.	समाचार-पत्र/मैग्जीन/स्मारिका का नाम	राशि रुपए में
221	गुरू तेगबहादुर थर्ड सेंटेनरी पब्लिक स्कूल	2,500
222	ऑल इण्डिया कांग्री महिला	1,00,000
223	स्वंद हिन्दी	2,00,000
224	पहल ए माइलस्टोन	20,000
225	व्हीस्पर्स इन द कॉरीडोर	6,00,000
226	यूएसएम पत्रिका	25,000
227	दर्पण एड्स प्रा. लि.	40,000
228	स्कोप स्टैंडिंग कांफ्रेंस	50,000
229	सेंट्रल बोर्ड ऑफ इरीगेशन एण्ड पावर	45,000
230	इण्डियन ड्रीम	10,000
231	ग्रीन पोस्ट	50,000
232	सूर्यपर्व	1,50,000
233	साई पब्लिकेशन्स	25,000
234	लुबना-उर्दू-डेली	80,000
235	कनवास	20,000
236	इण्डियन रेलवे	17,000
237	इंटरनेशनल सेंटर फॉर एक्सीलेंस	25,000
238	व्यक्ति विकास केंद्र	21,000
239	भारतीय मजदूर संघ उत्तर प्रदेश	30,000
240	इंडीजिनस हर्ल्ड	21,000
241	एसआरएस एक्सपो एण्ड कन्वेंसन्स	2,00,000
242	सेंट्रल रेवेन्यू स्पोर्ट्स बोर्ड	50,000
243	स्कंद पब्लिकेशन	45,000
244	बिजनेस स्टैंडर्ड	45,000
245	नई दिल्ली नारी उद्घोष	50,000
246	आप का फैसला	1,20,000
247	सरोकार ग्रुप ऑफ पब्लिकेशन्स	25,000
248	ससूचना समय	40,000
249	एनएचपीसी रेजिडेंशल पूजा समिति	25,000
250	जवाहरलाल नेहरू हॉकी टूर्नामेंट	2,00,000
251	राजीव स्पोर्ट्स फाउंडेशन	50,000
252	राष्ट्र व्यापक	15,000
253	आराम बाग पूजा समिति	6,000
254	पुष्प विहार सर्वोजनीन पूजा समिति	5,000
255	धर्मा सेवा समिति	3,000
256	इण्डिया वर्ल्ड फाउंडेशन	50,000
257	तरुण भारत	1,00,000
258	पंचामृत चेतना केंद्र समिति	25,000
259	ग्रीन इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च एण्ड डेवलेपमेंट	25,000
260	सर्वोजनीन पूजा समिति	20,000
261	दिल्ली दुर्गा पूजा समिति	10,000
262	स्टार न्यूज- इंटीपेंडेंस डे एडवरटाइजमेंट	32,815
263	स्टार न्यूज- न्यू ईयर विश एडवरटाइजमेन्ट	45,003
264	सीएनबीसी टीवी 18 एण्ड सीएनबीसी आवाज	62,000

acer

मैग्जीन/स्मारिका की सूची- 2011-12

क्रम सं.	प्रकाशन का नाम	प्रकाशक का प्रकार	राशि (रु.)
1	दलाल स्ट्रीट	मैग्जीन	2,00,000
2	सोसायटी फॉर डिसेबिलिटी एण्ड रिहैबिलिटेशन स्टडीज	स्मारिका	30,000
3	वामा	मैग्जीन	1,50,000
4	ब्यूरोक्रेसी टुडे	मैग्जीन	60,000
5	पावर वॉच इण्डिया	मैग्जीन	52000
6	वेस्ट बेंगाल स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड ऑफिसर्स एसोसिएशन	स्मारिका	10000
7	विश्व पत्रकार सदन	मैग्जीन	90,000
8	मीडिया ओपिनियन	मैग्जीन	60,000
9	द फॉरेन कोरेसपोंडेंट क्लब ऑफ साउथ एशिया	मैग्जीन	30,000
10	वॉइस टुडे	मैग्जीन	80,000
11	भारतीय भाषा एवं संस्कृति केंद्र	स्मारिका	50,000
12	लक्ष्मी कुदरती टाईम्स	मैग्जीन	25000
13	सिंहासन	मैग्जीन	50,000
14	एसोचैम कारपोरेट सेंटर	स्मारिका	90,000
15	जन जन तक	मैग्जीन	30,000
16	न्यू डिस्कवरी	मैग्जीन	30,000
17	कालिडोस्कोप	मैग्जीन	50,000
18	पावरलाइन	मैग्जीन	71,000
19	प्रेरणा एजुकेशनल रिसर्च सोसायटी	स्मारिका	50,000
20	न्यूज प्लान	मैग्जीन	40,000
21	दिग्विजय	मैग्जीन	50000
22	जनमुख	मैग्जीन	120000
23	लफ्ज	मैग्जीन	2,00,000
24	दिल्ली सियासत	मैग्जीन	60,000
25	अंतिम विकल्प	मैग्जीन	40,000
26	स्टैंडिंग कांफ्रेंस ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज (स्कोप)	स्मारिका	50,000
27	एमएसएमई डेवलेपमेंट इंस्टीट्यूट	स्मारिका	5,000
28	श्री माथुर चतुर्वेदी सभा	स्मारिका	51,000
29	इण्डिया अपडेट	मैग्जीन	40,000
30	पॉलीवुड न्यूज स्टार	मैग्जीन	40,000
31	एमएसी कृषि जागरण	मैग्जीन	50,000
32	उपभोक्ता चिंतन	मैग्जीन	60,000
33	भारतीय विद्या भवन	मैग्जीन	9000
34	आशरे वेलफेयर एण्ड चैरिटेबल सोसायटी	स्मारिका	1,60,000
35	द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ट एकाउंटेंट्स	स्मारिका	50,000
36	महाशक्ति एक्सप्रेस	मैग्जीन	20,000
37	इण्डिया मेल	मैग्जीन	15,000
38	हार्ड न्यूज	मैग्जीन	60,000
39	इण्डियन मैनेजमेंट	मैग्जीन	40,000
40	पावर लाइन	मैग्जीन	70,200
41	नई सदी प्रकाशन	मैग्जीन	40,000
42	बिजनेस सिटीजन	मैग्जीन	25,000
43	सी. केसावन फाउंडेशन)	स्मारिका	25,000
44	लाइफ पॉजिटिव (मगुस मीडिया प्रा. लि.)	मैग्जीन	45,000
45	समकालीन चौथी दुनिया	मैग्जीन	50,000

acer

मैग्जीन/स्मारिका की सूची- 2011-12			
क्रम सं.	प्रकाशन का नाम	प्रकाशक का प्रकार	राशि (रु.)
46	ऑर्गेनिक खेती	मैग्जीन	30000
47	शरद जोशी अमृत महोत्सव	स्मारिका	1,00,000
48	अर्श विद्या तीर्थ	स्मारिका	1,50,000
49	जनरल शाह नवाज मैमोरियल फाउंडेशन	स्मारिका	1,00,000
50	एक्स-ओएनजीसी एक्जीक्यूटिव वेलफेयर एसोसिएशन	स्मारिका	50,000
51	गणशक्ति	मैग्जीन	55,000
52	दलमाउ मेल	मैग्जीन	40,000
53	ग्रीन पोस्ट	मैग्जीन	50000
54	न्यू स्ट्रीट	मैग्जीन	1,00,000
55	आधारशिला	मैग्जीन	12,500
56	कैटेपरी डांस सेंटर	स्मारिका	10,000
57	मस्ताना जोगी	मैग्जीन	10,000
58	इण्डियन इंफ्रास्ट्रक्चर पब्लिशिंग	मैग्जीन	99,000
59	दिल्ली ट्रांस्को लिमिटेड	स्मारिका	50,000
60	यूएसएम पत्रिका	मैग्जीन	25,000
61	फोर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट (अभिज्ञानम)	मैग्जीन	20,500
62	ऑल इण्डिया जर्नलिस्ट्स वेलफेयर एसोसिएशन	स्मारिका	50,000
63	समयाबदी	मैग्जीन	20,000
64	सर्वजन सुखाय सेवा समिति	स्मारिका	3,000
65	पब्लिक सेक्टर टुडे	मैग्जीन	10,000
66	ऑल बेंगाल डॉक्टर्स एसोसिएशन ऑफ बायो-कैमिक मेडिसिन्स	स्मारिका	5,000
67	पर्वत पीयूष	मैग्जीन	10,000
68	महामना मालवीय मिशन फाउंडेशन	स्मारिका	20,000
69	राष्ट्रीय संस्कृति	मैग्जीन	40,000
70	इण्डियन प्रकाशन	मैग्जीन	32,400
71	रेलवे टाईम टेबल- अभिनव प्रकाशन	मैग्जीन	35,000
72	अभिनव मीमांसा	मैग्जीन	5000
73	भारत जननी	मैग्जीन	1,00,000
74	सृजना	मैग्जीन	15,000
75	सम्राट इंफॉर्मेशन	मैग्जीन	25000
76	वामा	मैग्जीन	1,50,000
77	हाई कमीशन ऑफ द रिपब्लिक ऑफ जामबिया	मैग्जीन	36,000
78	नाडिया टाईम्स	मैग्जीन	40,000
79	ऑल इण्डिया कान्यकुब्ज बोर्ड	मैग्जीन	50,000
80	नेक्स्ट जेनरेशन मूवमेंट	मैग्जीन	35000
81	ईवीईएस इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएशन	स्मारिका	2,00,000
82	भारतीय भाषा एवं संस्कृति केंद्र- सांस्कृतिक समन्वय	मैग्जीन	50000
83	जन माध्यम	मैग्जीन	1,00,000
84	जीवन प्रेरणा	मैग्जीन	45,000
85	इण्डियन इंफ्रास्ट्रक्चर	मैग्जीन	90,000
86	शंकर इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्नोलॉजी	स्मारिका	2,00,000
87	कृषि विज्ञान केंद्र - किशन इंटरनेशनल	मैग्जीन	60,000
88	विश्व पत्रकार सदन	मैग्जीन	90,000
89	मीडिया ओपिनियन	मैग्जीन	90,000
90	इण्डियन ट्रांसफार्मर मैन्युफैक्चर एसोसिएशन	स्मारिका	1,500

acer

मैग्जीन/स्मारिका की सूची- 2011-12			
क्रम सं.	प्रकाशन का नाम	प्रकाशक का प्रकार	राशि (रु.)
91	द्रौपदी ट्रस्ट	स्मारिका	48,000
92	यूनियन टेरीटरी इंटीपेंडेंट	मैग्जीन	1,00,000
93	स्कंद पब्लिकेशन	मैग्जीन	30,000
94	विश्वकर्मा संकेत	मैग्जीन	10,000
95	दिल्ली प्रेस	मैग्जीन	50,000
96	सेंट्रल फॉर सोशल एण्ड मैनेजमेंट सोल्यूशन्स	स्मारिका	25,000
97	विनय नगर सर्वोजनीन दुर्गा पूजा समिति	स्मारिका	25,000
98	दिल्ली दुर्गा पूजा समिति	स्मारिका	5,000
99	द्वारका कालीबाड़ी पूजा समिति	स्मारिका	3,000
100	सर्वोजनीन दुर्गा पूजा समिति, सी.आर. पार्क, नई दिल्ली	स्मारिका	2,000
101	प्राची सर्वोजनीन मैत्रीबंधन	स्मारिका	9,000
102	आराम बाग पूजा समिति	स्मारिका	5,000
103	इकोतन कालीबाड़ी ओ-सेवा समिति	स्मारिका	5,000
104	सुशांत लोक कल्चरल सोसायटी	स्मारिका	6,000
105	सर्वोजनीन दुर्गा पूजा समिति, सी.आर. पार्क, नई दिल्ली	स्मारिका	3,000
106	महामाया मंदिर सभा	स्मारिका	5,000
107	भारतीय राजभाषा परिषद	मैग्जीन	15,000
108	को-ऑपरेटिव ग्राउंड दुर्गा पूजा समिति	मैग्जीन	25,000
109	सेंट्रल फॉर सोशल एण्ड मैनेजमेंट सोल्यूशंस	स्मारिका	25,000
110	थुरावूर महाक्षेत्र भक्तजन समिति	स्मारिका	50,000
111	रामा प्रकाशन	मैग्जीन	15,000
112	डेली संचार	मैग्जीन	25,000
113	भारतीय विद्या भवन	स्मारिका	9,000
114	पावर प्यूपिल	मैग्जीन	24,000
115	शिल्पा बिचित्र	मैग्जीन	20,000
116	पीटीआई एम्प्लॉईज यूनियन्स	स्मारिका	30,000
117	ग्रीन होप	मैग्जीन	1,00,000
118	स्मिता स्मृति (रत्न कम्युनिकेशन)	मैग्जीन	1,00,000
119	सोलापुराचा जय हो	मैग्जीन	10,000
120	शंकरा इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्नोलॉजी	स्मारिका	1,00,000
121	कृषि विज्ञान केंद्र	स्मारिका	60,000
122	इण्डियन वूमेन प्रेस कॉरपोरेशन	स्मारिका	50,000
123	निवेदिता इन्क्लेव पूजा समिति	मैग्जीन	10,000
124	उड़िया पुआ	मैग्जीन	1,50,000
125	कायादाता	मैग्जीन	50,000
126	दिल्ली उड़िया डॉक्टर एसोसिएशन	स्मारिका	40,000
127	भारतीय विद्या भवन	मैग्जीन	5,000
128	ऊर्जा संचार	मैग्जीन	3,000
129	टैप फाउंडेशन	स्मारिका	15,000
130	पॉलीवुड न्यूज स्टार	मैग्जीन	60,000
131	धर्मसंस्था सेवा समिति	स्मारिका	15,000
132	रेवेन्सो एल्युमनी एसोसिएशन	स्मारिका	75,000
133	एनर्जी इण्डिया	मैग्जीन	40,000
134	कसीर फाउंडेशन	मैग्जीन	60,000
135	इण्डियन रेवेन्यू सर्विस एसोसिएशन कर्नाटक एण्ड गोवा	स्मारिका	1,00,000

acer

मैग्जीन/स्मारिका की सूची- 2011-12			
क्रम सं.	प्रकाशन का नाम	प्रकाशक का प्रकार	राशि (रु.)
136	हिम प्रकाशन	मैग्जीन	30,000
137	डिजायर	मैग्जीन	25,000
138	हिन्दू कॉलेज फिजिक्स सोसायटी	स्मारिका	10,000
139	डीसीई एल्युमनी एसोसिएशन	स्मारिका	50,000
140	द काश्मीर एजुकेशन एण्ड कल्चरल सोसायटी	स्मारिका	10,000
141	द उत्कल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्री	स्मारिका	50,000
142	नर्मदा चैरिटेबल ट्रस्ट	स्मारिका	20,000
143	पार्लियामेंट स्ट्रीट	मैग्जीन	50,000
144	ह्यूमन टच	मैग्जीन	30,000
145	पावर एचआर फोरम	स्मारिका	18000
146	कारपोरेट न्यूज ब्यूरो	मैग्जीन	65,000

मैग्जीन/स्मारिका की सूची- 2012-13			
क्रम सं.	प्रकाशक का नाम	मैग्जीन/स्मारिका	राशि (रु.)
1	आईव्यू (जर्नल लिटरेचर)	मैग्जीन	3,000
2	व्हीस्परकोरीडोर.कॉम (आरुषि नेटवर्क)	मैग्जीन	300000
3	कलाईकुडम	मैग्जीन	10,000
4	दि क्रिसनधन	मैग्जीन	35,000
5	अनुपम राष्ट्र	मैग्जीन	25,000
6	वर्ल्ड अपडेट	मैग्जीन	15,000
7	इंटरनेशनल सेंटर फॉर एक्सीलेंस	स्मारिका	20,000
8	कथा	मैग्जीन	25,000
9	संयुक्त महिला समिति	मैग्जीन	25,000
10	नेक्स्ट जेनरेशन	मैग्जीन	25,000
11	सर्वजन सुखाय सेवा समिति	स्मारिका	3,000
12	कंचनलता	मैग्जीन	3,000
13	जीवन प्रेरणा	मैग्जीन	45,000
14	भारतीय विद्या भवन	स्मारिका	5,000
15	रेल बंधु	मैग्जीन	2,00,000
16	पावर एचआर फोरम	मैग्जीन	12,000
17	सूर्यप्रभा	समाचार पत्र	3,00,000
18	पायोनीयर (सीएमवाईके प्रिंटेक)	समाचार पत्र	1,00,000
19	सवीकार	मैग्जीन	25,000
20	ग्रीन होप	मैग्जीन	25,000
21	सेक्युलर क्वाडट	समाचार पत्र	50,000
22	सामन्जन्य संदेश	मैग्जीन	7,000
23	साम्यवादी	मैग्जीन	15,000
24	इंडिया फाउंडेशन फॉर डेवलपेमेंट	स्मारिका	60,000
25	सप्तऋषि	मैग्जीन	25,000

acer

मैग्जीन/स्मारिका की सूची- 2012-13			
क्रम सं.	प्रकाशक का नाम	मैग्जीन/स्मारिका	राशि (रु.)
26	क्रिएशन्स	मैग्जीन	10,000
27	जनायुगम पब्लिकेशन्स	स्मारिका	25,000
28	सी. अचूथा मेनन	स्मारिका	1,00,000
29	कविपत्र प्रोकाश	मैग्जीन	3,000
30	व्यापार भारती प्रेस	मैग्जीन	30,000
31	पीआरएसआई शिमला	स्मारिका	20,000
32	राजीव गांधी फोरम	मैग्जीन	20,000
33	राजीव गांधी एक्सीलेंस अवाड्र्स	स्मारिका	50,000
34	डीफवे फाउंडेशन	स्मारिका	6,000
35	उत्कर्ष प्रतिष्ठान	मैग्जीन	1,00,000
36	कन्फेडेरेशन ऑफ सीनियर सिटीजन एसोसिएशन ऑफ दिल्ली	स्मारिका	21,000
37	राष्ट्रीय सागर प्रतियोगिता आजकल	मैग्जीन	20,000
38	थुरावूर महाक्षेत्र भक्तजन समिति	मैग्जीन	50,000
39	विनय नगर सर्वोजनीना दुर्गा पूजा समिति	स्मारिका	25,000
40	हिम प्रकाशन	मैग्जीन	10,000
41	पश्चिम विहार बेंगाली एसोसिएशन	स्मारिका	2,000
42	सर्वोजनीन पूजा परिषद, दिलशाद गार्डन	स्मारिका	8,000
43	नेताजी नगर सर्वोजनीन पूजा समिति	स्मारिका	2,000
44	को-ऑपरेटिव ग्राउंड दुर्गा पूजा	स्मारिका	4,000
45	चितरंजन पार्क काली मंदिर सोसायटी	स्मारिका	5,000
46	एम.बी.डी. रोड दुर्जा पूजा समिति	स्मारिका	2,000
47	आराम बाग पूजा समिति	स्मारिका	6,000
48	आम्रा सबाई	स्मारिका	2,000
49	श्री श्री दुर्जा पूजा समिति	स्मारिका	4,000
50	सर्वोजनी पूजा समिति, ई-968 चितरंजन पार्क	स्मारिका	3,000
51	चितरंजन पार्क मिलन समिति, के-2027, चितरंजन पार्क	स्मारिका	3,000
52	पुष्प विहार सर्वोजनीन पूजा समिति	स्मारिका	10,000
53	सुशांत लोक कल्चरल सोसायटी	स्मारिका	15,000
54	प्राची सर्वोजनीन मैत्रिबंधन वेलफेयर सोसायटी	स्मारिका	10,000
55	सर्वोजनीन दुर्गा पूजा समिति, कालकाजी	स्मारिका	10,000
56	उत्कल दुर्गा पूजा समिति	स्मारिका	2,000
57	शिल्पा बिचित्र	मैग्जीन	20,000
58	इण्डिया वूमेन प्रेस क्लब	स्मारिका	30,000
59	चितरंजन पार्क पूर्वांचल दुर्गा पूजा समिति	स्मारिका	10,000
60	सर्वोजनीन दुर्गोत्सव समिति, प्रगति विहार	स्मारिका	5,000
61	लफ्ज	मैग्जीन	25,000
62	डन एण्ड ब्राण्डस्ट्रीट	मैग्जीन	75,000
63	न्यूज डिस्कवरी	मैग्जीन	30,000
64	भारतीय भाषा एवं केंद्र	मैग्जीन	25,000

acer

मैग्जीन/स्मारिका की सूची- 2012-13			
क्रम सं.	प्रकाशक का नाम	मैग्जीन/स्मारिका	राशि (रु.)
65	इण्डो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस (आईटीबीपी)	मैग्जीन	1,00,000
66	सद्दार इण्डिया	मैग्जीन	1,25,000
67	इण्डियन ड्रीम	मैग्जीन	30,000
68	मॉस मीडिया	मैग्जीन	25,000
69	विश्वमुक्ति	मैग्जीन	1,00,000
70	आईसीएआई	स्मारिका	25,000
71	दि बिजया भारती	मैग्जीन	20,000
72	इण्डियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस	स्मारिका	25,000
73	एफआर. एंजिल स्कूल	स्मारिका	5,000
74	सिम्ब्योस इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस	स्मारिका	2,00,000
75	ओकोनोमोस (हंस राज कॉलेज)	स्मारिका	10,000
76	माता अमितानंदमाया मठ	स्मारिका	50,000
77	विश्वमुक्ति	मैग्जीन	40,000
78	सीआईटीयू	स्मारिका	10,000
79	डिस्ट्रिक्ट वॉलीबाल एसोसिएशन	स्मारिका	5,000
80	लक्ष्मी कुदरती टाईम्स	मैग्जीन	20,000
81	ऑल इण्डिया फोरेस्ट स्पोर्ट्स मीट 2013	मैग्जीन	1,00,000
82	फाइनेंशियल पल्स	स्मारिका	50,000
83	विश्व हिन्दी दिवस सांस्कृतिक मेला	स्मारिका	10,000
84	जनभावना	मैग्जीन	3,000
85	दिल्ली जिमखाना क्लब	डायरेक्टरी	1,45,000
86	परिवर्तन जनकल्याण समिति	मैग्जीन	10,000
87	इण्डियन फाउंडेशन फॉर रूरल डेवलेपमेंट स्टडीज	स्मारिका	35,000
88	नटसम्राट	स्मारिका	3,000
89	अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन	मैग्जीन	15,000
90	धर्मास्था सेवा समिति	मैग्जीन	3000
91	कमिश्नरेट ऑफ कस्टम्स एण्ड सेंट्रल एक्साइज	मैग्जीन	1,50,000
92	सेकर्ड हर्ट कैथेड्रल्स	मैग्जीन	6,000
93	कमला नेहरू कॉलेज	स्मारिका	10,000
94	एनआईपीएम	स्मारिका	20,000
95	पायोनीयर न्यूज पेपर	समाचार पत्र	1,00,000
96	श्रूवत समिति	मैग्जीन	10,000

****

acer

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
....
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-3622
जिसका उत्तर 13 फरवरी, 2014 को दिया जाना है।

विद्युत परियोजनाओं को मंजूरी

†3622. श्री सुरेश कलमाडीः
श्री ए॰टी॰ नाना पाटीलः
श्री दानवे रावसाहेब पाटीलः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश में बड़ी संख्या में विद्युत संयंत्रमंजूरी का इंतजार कर रहे हैं और उनके लिएसुनिश्चित ईंधनकी आपूर्ति का अभाव है तथानिजी क्षेत्र की किसी भी विद्युत परियोजना को2009 से कोल लिंकेज नहीं मिला है एवं यदि हां,तो ऐसे विद्युत संयंत्रों का राज्य–वार ब्यौरा क्या है;

(ख) मंजूरी और ईंधनकी आपूर्ति हेतु प्रतीक्षाकरने वाले इन संयंत्रों में कितना निवेश हुआ हैतथा इनकी क्षमता का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कोयला मंत्रालय ने इनमें से किसीपरियोजना के लिए ईंधनआपूर्ति समझौता परहस्ताक्षर करने हेतु कोई समय–सीमा नियत की हैऔर यदि हां, तो ऐसी परियोजनाओं के नाम क्याहैं; और

(घ) इन विद्युत संयंत्रों को समय पर मंजूरीदिया जाना और ईंधनकी आपूर्ति किया जानासुनिश्चित करने के लिए नीति/कार्ययोजना यदिकोई हो, का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

(क) से (घ) - देश में घरेलू कोयले की कमी के कारण, कोयला मंत्रालय(एमओसी) ने 2010 से कोई भी लिंकेज प्रदान नहीं किया है। तथापि, कोयला मंत्रालय ने 12वीं योजना के दौरान और उसके बाद 1,00,000 मेगावाट से ज्यादा उत्पादन लाभ देने वाले विद्युत संयंत्रों के लिए पहले ही लिंकेज प्रदान कर दिया है।

सरकार ने ऐसे विद्युत संयंत्रों, जो कि चालू हो गए हैं या 31.03.2015 तक चालू किए जाने की संभावना है, के लिए ईंधन आपूर्ति करार(एफएसए) हस्ताक्षर करने के लिए सीआईएल को निर्देश दिए हैं । 71235 मेगावाट के 157 एफएसए पहले ही हस्ताक्षरित किए जा चुके हैं। 6800 मेगावाट की क्षमता के 15 मामले, जिनके लिए एफएसए हस्ताक्षरित होना शेष है,**अनुबंध** पर दिए गए हैं ।

1000 करोड़ से अधिक निवेश वाली विभिन्न स्वीकृतियों को मंत्रिमंडल सचिवालय में निवेश संबंधी मंत्रिमंडल समिति(सीसीआई) और परियोजना निगरानी समूह(पीएसजी)द्वारा फास्टट्रेक पर रखा गया है। आज की तिथि तक 3 लाख करोड़ रूपए से अधिक की निवेश वाली 87 विद्युत परियोजनाओं से संबंधित मामलों का समाधान कर दिया गया है।

****

acer

अनुबंध

लोक सभा में दिनांक 13.02.2014 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 3622 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

****

क्रम सं.	यूनिट/संयंत्र का नाम	क्षमता (मेगावाट)
1.	लैंको बाबंध पावर लि., फेज-1, यू-1, ओडिशा	660
2.	चंद्रपुर, डीवीसी, झारखण्ड	250
3.	एथेना सिंघातराई यूनिट-1, एथान छत्तीसगढ़ पावर लि., छत्तीसगढ़	600
4.	केएसके महानदी यूनिट-1 **(टेपरिंग)**, केएसके महानदी पावर कं. लि., ओडिशा	600
5.	केएसके महानदी यूनिट-2 **(टेपरिंग)**, केएसके महानदी पावर कं. लि., ओडिशा	600
6.	केएसके महानदी यूनिट-3 **(टेपरिंग)**, केएसके महानदी पावर कं. लि., ओडिशा	600
7.	डीबी पावर (सीजी) यूनिट-2 **(टेपरिंग)**, डीबी पावर लि., छत्तीसगढ़	600
8.	डीवीसी मेजिया टीपीएस फेज-**II**, यूनिट सं.-8 (टेपरिंग), डीवीसी, झारखण्ड	500
9.	उकई टीपीपी, यूनिट-6 **(टेपरिंग)**, जीएसईसीएल, गुजरात	500
10.	पर्ली यूनिट-8 **(टेपरिंग)**, महाजैंको, महाराष्ट्र	250
11.	बेल्लारी टीपीएस, यूनिट-2 **(टेपरिंग)**, केपीसीएल, कर्नाटक	500
12.	महाराष्ट्र एयरपोर्ट डेवलेपमेंट अथॉरिटी लि. (एमएडीसी) ऑफ अभिजीत एमएडीसी नागपुर एनर्जी (प्रा.) लिमिटेड, महाराष्ट्र	240
13.	बुटीबोरी टीपीपी-**II**, विदर्भ इण्डस्ट्रीज पावर लि., महाराष्ट्र	300
14.	धारीवाल इंफ्रास्ट्रक्चर टीपीपी, यूनिट-1, धारीवाल इंफ्रास्ट्रक्चर (प्रा.) लि., महाराष्ट्र	300
15.	धारीवाल इंफ्रास्ट्रक्चर टीपीपी, यूनिट-2, धारीवाल इंफ्रास्ट्रक्चर (प्रा.) लि., महाराष्ट्र	300
	कुल	**6800**

****

acer

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
....
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-3624
जिसका उत्तर 13 फरवरी, 2014 को दिया जाना है।

ताप विद्युत स्टेशनों की क्षमता

3624. श्री जगदानंद सिंहः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ताप विद्युत स्टेशनोंकी अधिस्थापित क्षमता कितनी है;

(ख) क्या इन स्टेशनों की विद्युत उत्पादन क्षमताएवं इनकी अधिस्थापित क्षमता के बीच भारी अंतर है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथाइसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या अन्य क्षेत्रों की तुलना में देश केपूर्वोत्तर में स्थापित राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड(एन॰टी॰पी॰सी॰) के विद्युत स्टेशनों द्वारा कम मात्रामें विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है जिससेसंयंत्र भण्डार कारक (पी॰एल॰एफ॰) का औसतकम हो जाता है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है एवंसरकार द्वारा इनके पी॰एल॰एफ॰ को राष्ट्रीय स्तरके समान स्तर पर लाने के लिए क्या कदम उठाएगए/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

(क) दिनांक 31.01.2014 की स्थिति के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर ताप विद्युत स्टेशनों की संस्थापित क्षमता 160484 मेगावाट है।

(ख) और (ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) वर्ष 2013-14(अप्रैल, 2013 से दिसम्बर, 2013 तक) के दौरान पूर्वी क्षेत्र में एनटीपीसी यूनिटों का औसत प्लांट लोड फैक्टर (पीएलएफ) 73.85 % था जो अन्य क्षेत्रों में एनटीपीसी संयत्रों के पीएलएफ से कम है । यह पीएलएफ, तथापि इस अवधि के लिए लगभग 64.6% के राष्ट्रीय औसत पीएलएफ से अधिक है ।

****

acer

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
....
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-3630
जिसका उत्तर 13 फरवरी, 2014 को दिया जाना है।

विद्युत उत्पादन में कमी

†3630. श्री नामा नागेश्वर रावः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या मंत्रालय ने योजना आयोग को दी गई अपनी रिपोर्ट में सूचित किया है कि बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान नौ प्रतिशत वृद्धि प्राप्त करने के लिए कोयला उपलब्धताएवं क्षमता वर्द्धन बहुत कम है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है एवं विद्युत उत्पादन में कमी के लिए जिम्मेदार कारकों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विद्युत वितरण कंपनियों की आर्थिक स्थिति में भी गिरावट हो रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

(क) और (ख)- 9% जीडीपी विकास को प्राप्त करने के लिए, 12वीं योजना के लिए क्षमता अभिवृद्धि लक्ष्य 88,537 मेगावाट निर्धारित किया गया है, जिसमें से 69,280 मेगावाट कोयला आधारित परियोजनाओं से है। 12वीं योजना के लिए विद्युत संबंधी कार्यकारी कार्यदल की रिपोर्ट के अनुसार, अनुमानित कोयले की माँग 2016-17 तक 842 एमटी है । स्वदेशी स्रोतों से कोयले की उपलब्धता पर विचार करते हुए लगभग 213 एमटी कोयले का आयात किए जाने की आवश्यकता है ।

विद्युत संयत्रों के लिए कोयले की पर्याप्त उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए, निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं/ उठाये जाने प्रस्तावित हैं -

(1) आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमण्डल समिति (सीसीईए) ने दिनांक 21 जून, 2013 को आयोजित अपनी बैठक में ताप विद्युत परियोजनाओं की घरेलू कोयले की माँग की आपूर्ति में कमी को पूरा करने के लिए निम्नलिखित निर्णय लिया है -

(क) कोल इण्डिया लिमिटेड (सीआईएल) से टेपरिंग लिंकेज के मामलों, जिनके दिनांक 31.3.2015 तक शुरू होने की संभावना है, सहित 78000 मेगावाट की कुल क्षमता के लिए ईंधन आपूर्ति करार पर हस्ताक्षर

acer

करने के लिए कहा गया है । तथापि, वास्तविक कोयला आपूर्तियां दीर्घावधि विद्युत क्रय करार (पीपीए) करने के पश्चात शुरू होंगी ।

(ख) समग्र घरेलू उपलब्धता और वास्तविक माँग को ध्यान में रखते हुए, 12वीं पंचवर्षीय योजना के शेष चार वर्षों के लिए वार्षिक अनुबंधित मात्रा (एसीक्यू) की 65%, 65%, 67% और 75% की घरेलू कोयले की मात्रा के लिए एफ एस ए हस्ताक्षरित किए जाने हैं ।

(ग) शेष एफ एस ए दायित्वों को पूरा करने के लिए, सी आई एल कोयले का आयात कर सकती है और लागत आधिक्य आधार पर इच्छुक ताप विद्युत संयत्रों (टीपीपी) को इसकी आपूर्ति कर सकती है । टीपीपीएस भी स्वयं कोयले का आयात कर सकती है । कोयला मंत्रालय इस सम्बन्ध में उपयुक्त अनुदेश जारी करेगा ।

(2) कोयला मंत्रालय/कोल इण्डिया लिमिटेड पर कोयले की निकासी/ परिवहन को सुगम बनाने के लिए पुलों आदि सहित पर्याप्त रेल/पोत/ सड़क अवसंरचना के सम्बद्ध विकास सहित देश में घरेलू कोयले के उत्पादन को बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है ।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, वर्ष 2012-13 और 2013-14 के दौरान उत्पादन (लक्ष्य की तुलना में) में कमी के लिए उत्तरदायी मुख्य कारक निम्नवत हैं;

(i) केजी डी 6 ब्लाक से गैस विद्युत संयत्रों को गैस की उपलब्धता में कमी ।

(ii) मानसून की विफलता जिसके कारण जलाशय में जल की उपलब्धता में कमी रही तथा जल उत्पादन कम रहा ।

(iii) राज्यों द्वारा कम मांग जिससे विद्युत संयंत्र बन्द हुए तथा आंशिक प्रचालन हुआ ।

(iv) कुडनकुलम एटामिक पावर प्लांट के चालू होने में विलम्ब ।

(ग) और (घ)- यूटिलिटियों द्वारा उपलब्ध करवाए गए लेखे के ब्यौरे के आधार पर 'वर्ष 2009-10 से 2011-12 के लिए राज्य विद्युत यूटिलिटियों के निष्पादन ' पर विद्युत वित्त निगम की रिपोर्ट के अनुसार, अधिकांश यूटिलिटियां उपभोक्ताओं को प्रत्यक्ष रूप से विद्युत का विक्रय कर रही हैं जिनसे 2009-10 से 2011-12 तक की अवधि के दौरान हुई हानियां निम्नवत है :

(रूपये करोड़ में)

	2009-10	**2010-11**	**2011-12**
प्राप्ति के आधार पर कर के पश्चात लाभ/(हानि)	(28,548)	(49,235)	(57,811)
प्राप्त सब्सिडी के आधार पर लाभ/(हानि)	(43,488)	(51,606)	(62,221)

राज्य विद्युत यूटिलिटियों की खराब वित्तीय स्थिति के मुख्य कारण प्रशुल्क का कभी-कभार संशोधन/अपर्याप्त प्रशुल्क वृद्धि, सब्सिडी राशि के भुगतान में विलम्ब, उच्च तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानियाँ आदि हैं।

acer

(ड.)- केन्द्र सरकार ने अक्टूबर, 2012 में राज्य स्वामित्व प्राप्त डिस्काम की वित्तीय पुनर्गठन योजना (एफआरपी) को अनुमोदित एवं अधिसूचित किया है । चार राज्यों अर्थात तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा के डिस्कामों ने स्कीम में भाग लिया है ।

स्कीम में दिनांक 31.3.12 तक 50% लघु अवधि देयता (एसटीएल) को पहले राज्य सरकार द्वारा गारन्टी किए गए ऋण पत्रों में तथा उसके बाद अगले 2 से 5 वर्षों में राज्य सरकार द्वारा पुनर्भुगतान की जाने वाली विशेष प्रतिभूतियों में परिवर्तित किए जाने की अपेक्षा की गई है ।

शेष 50% एसटीएल डिस्काम की व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के लिए प्रधान राशि पर स्थगन अवधि तथा उसके पुनर्भुगतान के लिए बेहतर संभव शर्तें उपलब्ध करवाते हुए देनदारों द्वारा पुनर्निर्धारित की जानी है ।

केन्द्र सरकार ने दिनांक 13 दिसम्बर, 2013 की अधिसूचना द्वारा स्कीम का विस्तार करते हुए आन्ध्र प्रदेश, झारखण्ड और बिहार राज्यों को शामिल किया है । इन तीन राज्यों के लिए, दिनांक 31.3.2013 की स्थिति के अनुसार स्कीम के अंतर्गत ऋणपत्रों / पुनर्निर्धारण के लिए लघु अवधि देयताओं की पात्र राशि की गणना हेतु अंतिम तारीख को बढ़ाते हुए अधिसूचनाओं में संशोधन किया गया है ।

आरएपीडीआरपी के अंतर्गत निर्दिष्ट हानि ट्राजेक्टरी से अधिक त्वरित एटी एण्ड सी हानि में कमी के माध्यम से बचत की गई अतिरिक्त ऊर्जा की कीमत के बराबर अनुदान द्वारा सहायता देने और (ख) स्कीम के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा ली गई देयता पर राज्य सरकार द्वारा प्रधान राशि के पुनर्भुगतान के 25% की पूंजी प्रतिपूर्ति सहायता देने के लिए पुनर्गठन प्रयास के समर्थन में केन्द्र सरकार द्वारा एक परिवर्तनीय वित्तीय तंत्र (टीएफएम) उपलब्ध है । यह प्रोत्साहन उनके द्वारा कुछ अनिवार्य शर्तों का पालन किए जाने पर ही उपलब्ध है ।

ऋणों के पुनर्गठन के साथ-साथ वितरण यूटिलिटियों के प्रचालन निष्पादन को सुधारने के लिए डिस्कामों / राज्यों द्वारा सुदृढ़ एवं उल्लेखनीय कार्रवाई की जानी चाहिए । राज्य सरकारें / डिस्काम स्वयं प्रतिबद्ध होंगे और कुछ अनिवार्य शर्तों को समयबद्ध ढंग से निष्पादित करेंगे ।

अनिवार्य शर्तें निम्नलिखित हैं :

1. राज्य सरकार अपने सभी ऋणों को इक्विटी में परिवर्तित करेगी या पुनर्निर्धारित वित्तीय संस्थानों (एफ आई)/ बैंकों के ऋणों के पूर्ण रूप से पुनर्भुगतान किए जाने तक उसकी वसूली को विलम्बित करेगी ।
2. राज्य सरकार सम्बंधित यूटिलिटियों को अपने सभी बकाया ऊर्जा बिलों (30.11.12 तक) और सब्सिडी बिलों (31.3.13 तक) का भुगतान करेगी ।
3. राज्य सरकार वितरण में निजी क्षेत्र को शामिल करने के लिए एक वर्ष के भीतर प्रारूप तैयार करेगी, और केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करेगी ।
4. राज्य सरकार वार्षिक एफआरपी प्रक्षेपणों की प्राप्ति में होने वाली कमी की जिम्मेदारी लेगी ।

acer

5. राज्य सरकार घोषित नीति के अनुसार सब्सिडी का श्रेणीवार पुनर्भुगतान करेगी। कृषि सब्सिडी का भुगतान फीडर/वितरण ट्रान्सफार्मर के मीटर के ऑकड़ों पर आधारित होगा । इन भुगतानों को वार्षिक राजस्व माँगों (एआरआर) में समायोजित किया जायेगा । राज्य सरकार सब्सिडी का अग्रिम भुगतान करेगी ।
6. राज्य सरकार राज्य की एफआरपी की निगरानी के लिए राज्य स्तरीय निगरानी समिति (एसएलएमसी) तैयार करेगी ।
7. राज्य सरकार एफआरपी को ' वार्षिक राज्य बजट वितरण ' का भाग बनाएगी ।
8. राज्य सरकार एफआरपी के अनुपालन हेतु एक प्रतिदर्श विधान का अधिनियमन करेगी ।

****

acer

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
....
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-3653
जिसका उत्तर 13 फरवरी, 2014 को दिया जाना है।

विद्युत अधिनियम, 2003 के अंतर्गत लोकपाल

3653. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेयः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विद्युत अधिनियम, 2003 के अंतर्गतलोकपाल को क्या कर्त्तव्य दिए गए हैं;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरानलोकपाल द्वारा कितने मामले सुलझाए गए हैं;और

(ग) उक्त मामलों में से कितने मामलेउपभोक्ताओं के पक्ष में सुलझाए गए?

उत्तर

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

(क) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 42 की उप-धारा (6) में राज्य आयोगों द्वारा लोकपाल की नियुक्ति या पदनामित करने के लिए व्यवस्था की गई है । इस अधिनियम की उक्त धारा 42 की उप-धारा (7) के अनुसार, लोकपाल उपभोक्ता की शिकायतों का उपयुक्त राज्य आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर और विनिर्दिष्ट तरीके से निपटारा करेंगे ।

(ख) और (ग) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के पास उपलब्ध सूचना के आधार पर,वर्ष 2010, 2011 तथा 2012 में विभिन्न राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के लोकपाल द्वारा निपटाए गए मामलों की संख्या, उपभोक्ताओं के पक्ष में निर्णीत मामलों के ब्यौरे सहित दी गयी हैः-

	2010	2011	2012	कुल
लोकपाल द्वारा निर्णीत मामलों की संख्या	8	1206	100	1314
उपभोक्ताओं के पक्ष में निर्णीत मामलों की संख्या	2	583	54	639

****

acer

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
....
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-3660
जिसका उत्तर 13 फरवरी, 2014 को दिया जाना है।

ताप विद्युत संयंत्र

3660. श्री अर्जुन राम मेघवालः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्रों से उपलब्ध कराए गए कोयले पर आधरित अब तक स्थापित किए गए ताप विद्युत संयंत्रों का क्षेत्र और कंपनी–वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या निजी क्षेत्र द्वारा संचालित किए जा रहे ताप विद्युत संयंत्रों ने इस संबंध में किए गए समझौता ज्ञापन की निबंधनतथा शर्तों का उल्लंघन किया है और संयंत्र को चलाने का काम किसी तीसरे पक्षकार को सौंपा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या उक्त प्रयोजनार्थ जिन किसानों की भूमि ली गई थी, को समझौता ज्ञापन में निर्धारित निबंधनऔर शर्तों के अनुसार अब तक रोजगार प्रदान नहीं किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

(क) :राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र से उपलब्ध कोयले पर आधारित कोई ताप विद्युत संयंत्र स्थापित नहीं किया गया है।

(ख) से (ङ) : विद्युत अधिनियम, 2003 के अनुसार कोई भी ताप विद्युत उत्पादक कंपनी, यदि वह ग्रिड से कनेक्टिविटी से संबंधित तकनीकी मानकों का पालन करती है, तो लाइसेंस/अनुमति प्राप्त किए बिना किसी भी उत्पादक स्टेशन की स्थापना, प्रचालन व अनुरक्षण कर सकती है।

जिन किसानों की भूमि इस कार्य के लिए अधिगृहीत की गई है, उन किसानों को रोजगार देने के संबंध में, विद्युत मंत्रालय में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है।

****

acer

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
....
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-3670
जिसका उत्तर 13 फरवरी, 2014 को दिया जाना है।

ईंधन आपूर्ति नीति

†3670. श्रीमती श्रुति चौधरी:

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का विचार देश में नयी ईंधनआपूर्ति नीति बनाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा एवं उद्देश्य क्या हैं?

उत्तर

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

(क) और (ख)- कोयला मंत्रालय ने दिनांक 26 जुलाई, 2013 के कार्यालय ज्ञापन द्वारा दिनांक 01.04.2009 से 31.03.2015 की अवधि के दौरान चालू हो चुकी या चालू होने वाली 78,000 मेगावाट क्षमता के चिन्हित तापीय विद्युत संयंत्रों(टीपीपी) को कोयला आपूर्ति के संबंध में नयी कोयला वितरण नीति में परिवर्तन अधिसूचित किए। इन टीपीपी की सकल घरेलू उपलब्धता और संभावित वास्तविक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, यह निर्णय लिया गया है कि सामान्य कोल लिंकेजों वाले विद्युत संयंत्रों के लिए 12वीं योजना के शेष चार वर्षों के लिए घरेलू कोयले की एसीक्यू की 65%, 65%, 67% व 75% मात्रा हेतु ईंधन आपूर्ति समझौतों(एफएसए) पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। टेपरिंग लिंकेज के मामलों को कोयला आपूर्तियां टेपरिंग लिंकेज पॉलिसी के अनुसार की जाएंगी। कोल इंडिया लिमिटेड, उक्त 78,000 मेमगावाट के टीपीपी की आवश्यकता के लिए अपनी शेष एफएसए बाध्यताओं को पूरा करने के लिए कोयले का आयात और इसके इच्छुक विद्युत संयंत्रों को मूल्य जमा आधार पर आपूर्ति कर सकता है। विद्युत संयंत्र यदि वे चाहे तो वे स्वयं कोयले का सीधा आयात कर सकते हैं, ऐसे में कोल इंडिया लिमिटेड के लिए ऐसा माना जाएगा कि आयात घटक की सीमा तक एफएसए बाध्यताओं का निर्वहन किया जा चुका है।

****

acer

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
....
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-3672
जिसका उत्तर 13 फरवरी, 2014 को दिया जाना है।

आर–एपीडीआरपी

†3672. श्री असादूद्दीन ओवेसीः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार पुनर्गठित त्वरित विद्युत विकास और सुधारकार्यक्रम (आर–एपीडीआरपी) के अंतर्गत मंजूर परियोजनाओं के विरुद्ध ऋण के रूप में वित्तीय सहायता उपलब्ध करा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस योजना के अंतर्गत अब तक उपलब्ध करायी गयी कुल राशि कितनी है एवं पर्यवेक्षणीय नियंत्रण और आंकड़ा अधिग्रहण (एससीएडीए) के अंतर्गत कितने शहर कवर किए गए हैं;

(ग) क्या सरकार ने योजना की समीक्षा की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सकल तकनीकी और वाणिज्यिक (एटी एंड सी) हानियां कम करने तथा एससीएडीए के अंतर्गत आवश्यक अवसंरचना सृजित करने में यह योजना किस हद तक मददगार है?

उत्तर

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

(क)- जी हां, सरकार पुनर्गठित त्वरित विद्युत विकास और सुधार कार्यक्रम (आर-एपीडीआरपी) के अन्तर्गत संस्वीकृत परियोजनाओं के लिए ऋणों के रूप में वित्तीय सहायता उपलब्ध करवा रही है ।

(ख)- पुनर्गठित एपीडीआरपी को 51,577 करोड़ रू0 की कुल लागत सहित दिनांक 31.07.2008 को केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम के रूप में अनुमोदित किया गया था । कार्यक्रम का मुख्य फोकस एटी एण्ड सी हानि में कमी की दृष्टि से वास्तविक प्रदर्शनीय कार्यनिष्पादन पर होता है । कार्यक्रम की कवरेज में 30,000(विशेष श्रेणी राज्यों में 10,000) से अधिक जनसंख्या वाले शहरी क्षेत्र - कस्बे और नगर आते हैं । स्कीम के अन्तर्गत परियोजनाओं को दो भागों में पूरा किया जा रहा है । भाग- क ऊर्जा लेखा/ लेखा परीक्षा के लिए

acer

आईटी समर्थ प्रणाली और बड़े शहरों (जनसंख्याः 4 लाख और वार्षिक ऊर्जा उत्पादनः 350 मि.यू.) के लिए स्काडा स्थापित करने के लिए है जबकि भाग - ख परियोजनाओं के नियमित वितरण, उन्नयन और सुदृढ़ीकरण के लिए है । दिनांक 31.01.2013 की स्थिति के अनुसार, आर- एपीडीआरपी के अन्तर्गत, 37190 करोड़ रू0 मूल्य की स्कीमों को संस्वीकृति प्रदान की गई है और 7143 करोड़ रू0 की स्कीमों को नीचे दिए गए ब्यौरों के अनुसार से वितरित किया गया है ।

भाग क (आई टी)

भाग - क (आईटी) के अन्तर्गत, 29 राज्यों के सभी पात्र 1398 कस्बों के लिए 5234 करोड़ रू0 की स्कीमें संस्वीकृत की गई हैं और 2368 करोड़ रू0 की राशि से वितरित की गई है ।

भाग - क (स्काडा)

भाग - क(स्काडा) के अन्तर्गत, सभी 70 पात्र कस्बों में 1575 करोड़ रू0 की स्कीमे संस्वीकृत की गई हैं और 412 करोड़ रू0 की राशि से वितरित की गई है ।

भाग - ख के अन्तर्गत प्रणाली सुदृढ़ीकरण परियोजनाएं

भाग ख के अन्तर्गत, 1229 पात्र नगरों में 30381 करोड़ की स्कीमे संस्वीकृत की गई हैं और 4363 करोड़ रू0 की राशि अद्यतन तिथि तक से वितरित की गई है ।

(ग) और (घ)-सरकार द्वारा स्कीम की समीक्षा की गई है सीसीईए ने आर-एपीडीआरपी को 12वीं/13वीं योजना में जारी रखने का अनुमोदन प्रदान किया है । सीसीईए द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव का सार है-

- 12 वीं/ 13वीं योजना में आर-एपीडीआरपी को जारी रखना ।
- आर-एपीडीआरपी के अन्तर्गत भाग-क के लिए पूर्णता समय को और दो वर्षों के लिए बढ़ाना ।
- नवीन/ मुख्य परियोजनाओं के लिए भाग - ग के अन्तर्गत वित्तपोषण को बढ़ाना ।
- एटी एण्ड सी हानियों के 15% से कम होने पर भी स्काडा के लिए भाग-ख की कवरेज में विस्तार
- नगरों की एटी एण्ड सी हानि स्तर (10 धार्मिक नगरों की सीलिंग के अध्ययधीन) पर ध्यान दिए बिना धार्मिक एवं पर्यटन महत्व के नगरों की भाग-ख परियोजनाओं की कवरेज में विस्तार ।
- केन्द्रीय विद्युत आपूर्ति यूटिलिटी(सीईएएसयू), ओडिशा को आर-एपीडीआरपी सहायता में विस्तार।

(ड.)- आर-पीडीआरपी का लक्ष्य नगरों में, जहां स्कीम को संस्वीकृत किया गया है, एटी एण्ड सी हानियों को 15% से कम करना है इसका उद्देश्य यूटिलिटी स्तर यदि विद्यमान हानियां 30 से कम है तो 1.5% प्रतिवर्ष और यदि विद्यमान हानियाँ 30% से अधिक है तो 3% प्रतिवर्ष तक एटी एंड सी हानियों को कम करना भी है । आर-एपीडीआरपी स्कीमें कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों पर है और भाग क (आईटी) प्रणाली आज की तिथि तक किसी भी राज्य में पूरा दिए जाने हेतु जाँच की जानी है । इस प्रकार, एटी एण्ड सी हानियों की कमी का अभी पता नहीं लगाया जा सकता ।

****

acer

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
....
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-3687
जिसका उत्तर 13 फरवरी, 2014 को दिया जाना है।

कुडनकुलम विद्युत संयंत्र

†3687. श्री ओ॰एस॰ मणियनः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) कुडनकुलम विद्युत संयंत्र की दूसरी इकाई द्वारा कब तक विद्युत उत्पादन शुरू किए जाने की सम्भावना है; और

(ख) इससे तमिलनाडु को कितनी विद्युत आवंटित किए जाने की सम्भावना है?

उत्तर

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

(क) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा दी गई सूचना के अनुसार कुडनकुलम विद्युत संयत्र की दूसरी यूनिट का निर्माण पूरा हो गया है । इसके चालू होने के कार्य प्रगति पर है और संभावित वाणिज्यिक प्रचालन तिथि(सीओडी) नवम्बर, 2014 है ।

(**ख**) तमिलनाडु को कुडनकुलम की दूसरी यूनिट से 1000 मे0वा0 में से 462.5 मे0वा0 विद्युत आबंटित की गई है ।

****

acer

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
....
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-3710
जिसका उत्तर 13 फरवरी, 2014 को दिया जाना है।

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

†3710. श्री अधलराव पाटील शिवाजीः
श्री गजानन ध.बाबरः
श्री आनंदराव अडसुलः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) को स्थापित किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके लक्ष्य और उद्देश्य क्या हैं;

(ख) बीईई द्वारा ऊर्जा उपायों को अपनाने के लिए थोक और खुदरा ग्राहकों को ऊर्जा संरक्षण उपायों को अपनाने हेतु क्या मानक/दिशा–निर्देश जारी किए गए हैं;

(ग) क्या बीईई द्वारा निर्धारितउक्त मानकों का पालन नहीं करने वाले उन ग्राहकों के विरुद्ध अर्थदण्ड लगाने का कोई प्रावधानहै;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) बीईई द्वारा जारी मानकों/दिशा–निर्देशों ने ऊर्जा संरक्षण में कितना योगदान दिया है?

उत्तर

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

(क) : जी हां। केंद्र सरकार ने निम्नलिखित उद्देश्यों एवं लक्ष्यों के साथ 1 मार्च, 2002 सेऊर्जा दक्षता ब्यूरो की स्थापना की हैः

(i) राष्ट्रीय संरक्षण गतिविधियों के लिए नीति फ्रेमवर्क एवं निर्देश उपलब्ध कराना।
(ii) ऊर्जा के कुशल प्रयोग के लिए पणधारियों के साथ नीतियों एवं कार्यक्रमों का समन्वय करना।
(iii) एकल क्षेत्रों के साथ-साथ राष्ट्रीय स्तर पर ऊर्जा कुशलता सुधारों की माप, निगरानी एवं सत्यापन के लिए प्रणाली एवं प्रक्रिया की स्थापना।

acer

(iv) ऊर्जा के कुशल प्रयोग एवं इसके संरक्षण के लिए कार्यक्रमों एवं परियोजनाओं के कार्यान्वयन में बहुपक्षीय, द्विपक्षीय एवं निजी क्षेत्र की सहायता पर बल देना ।

(v) पणधारियों के सहयोग से ऊर्जा के कुशल प्रयोग और इसके संरक्षण हेतु नीतियों एवं कार्यक्रमों का समन्वय करना ।

(vi) ऊर्जा संरक्षण अधिनियम में यथा परिकल्पित ऊर्जा संरक्षण कार्यक्रमों की आयोजना, प्रबंधन एवं कार्यान्वयन करना।

(vii) सार्वजनिक-निजी भागीदारी के माध्यम से ऊर्जा संरक्षण अधिनियम में यथापरिकल्पितऊर्जा कुशलता सुपुर्दगी तंत्र का प्रदर्शन करना।

(ख) से (ङ): केंद्र सरकार ने एसओ 687(ई) द्वारा ऊर्जा कार्यकुशलता ब्यूरो के परामर्श से लक्षित वर्ष 2014-15 तक अधिदेशित ऊर्जा मानदण्डों एवं मानकों को प्राप्त करने के लिए आठ क्षेत्रों, अर्थात एल्युमिनियम, सीमेंट, क्लोर-अल्कली, उर्वरक, लौह एवं इस्पात, लुगदी एवं कागज, टेक्सटाइल और ताप विद्युत संयंत्रों में थोक उपभोक्ताओं के रूप में नामित उपभोक्ताओं के लिए मानदण्डों एवं मानकों को विनिर्दिष्ट किया है।इसे ऊर्जा संरक्षण अधिनियम (2001) और निष्पादन, उपलब्धि एवं व्यापार (पीएटी) के नाम से जानी जाने वाली स्कीम के प्रावधानों के अंतर्गत किया गया है। नामित उपभोक्ता यदि उसके लिए स्कीम के अंतर्गत ऐसे विनिर्दिष्ट मानदण्डों एवं मानकों को लक्षित वर्ष तक प्राप्त करने में विफल रहता है, तब अनुपालन के उद्देश्य से, उसके पास अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट प्रक्रियाओं के अनुसार अधिनियम की धारा 26 की उप-धारा 1(क) में यथा विनिर्दिष्ट ऐसे मानदण्डों एवं मानकों में आई कमियों के मूल्य के समतुल्यऊर्जा बचत प्रमाण पत्र खरीदने अथवा अर्थदण्ड का भुगतान करने का विकल्प होगा। ऊर्जा संरक्षण उपायों को अपनाने के लिए खुदरा उपभोक्ताओं को बीईई द्वारा कोई दिशा-निर्देश/मानदण्ड जारी नहीं किए गए हैं।

थोक उपभोक्ताओं (नामित उपभोक्ताओं) के लिए मानदण्ड एवं दिशा-निर्देशों के अंतर्गत की गई कार्रवाई अर्थात पीएटी स्कीम के परिणामस्वरूप, पीएटी साइकिल (2012-15) के प्रथम चरण के समापन पर 6,686,000टन तेल के समतुल्य/वर्ष (6.686 मिलियन टन तेल के समतुल्य प्रतिवर्ष) की संभाव्य बचत का अनुमान है।

****

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
....
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-3718
जिसका उत्तर 13 फरवरी, 2014 को दिया जाना है।

एनटीपीसी संयंत्र से विद्युत उत्पादन

†3718. **श्री एंटो एंटोनी:**

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड(एनटीपीसी) की कायमकुलम इकाई पूर्ण रूप सेकाम कर रही है और विद्युत उत्पादन हेतु एलएनजीपेट्रोनेट कोच्चि से प्राकृतिक गैस खरीद रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है औरइससे प्राकृतिक गैस किस मूल्य पर खरीदी जारही है; और

(ग) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरानएनटीपीसी की उक्त इकाई द्वारा उत्पादित औरआपूरित विद्युत का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

(क)और(ख)- एनटीपीसी लिमिटेड की 360 मेगावाट की राजीव गांधी कम्बाइंड साइकिल पावर प्रोजेक्ट(आरजीसीसीपीपी), कायमकुलम काम कर रही है और केवल नाफ्था पर चर्चा हो रही है ।

इस केंद्र ने आज की तिथि तक विद्युत उत्पादन के लिए कभी भी प्राकृतिक गैस का उपयोग नहीं किया है ।

(ग)- विगत तीन वर्षों के दौरान आरजीसीसीपीपी के द्वारा उत्पादित और आपूर्ति की गई विद्युत इस प्रकार है-

(मिलियन यूनिट में)

2012-13	**2011-12**	**2010-11**
1518	692	1865

****

acer

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
....
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-3726
जिसका उत्तर 13 फरवरी, 2014 को दिया जाना है।

अरूणाचल प्रदेश में जल विद्युत परियोजनाएं

3726. श्री यशवीर सिंहः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या अरूणाचल प्रदेश में कुछ जल विद्युत परियोजनाएं निजी क्षेत्र को आबंटित की गई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी परियोजना–वार और कंपनी–वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या निजी क्षेत्र को आवंटित कुछ जल विद्युत परियोजनाएं पहले सरकारी क्षेत्र को आवंटित की गई थीं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इन परियोजनाओं को निजी क्षेत्र को आवंटित करने के क्या कारण हैं?

उत्तर

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

(क) और (ख) : उपलब्ध सूचना के अनुसार, अरुणाचल प्रदेश में कुल 35031.5 मेगावाट क्षमता की 102 जल विद्युत परियोजनाओं (एचई) (25 मेगावाट से अधिक) का आवंटन निजी क्षेत्र को किया गया है। इन परियोजनाओं का परियोजना-वार और कंपनी-वार ब्यौरा **अनुबंध** पर दिया गया है।

(ग) : अरुणाचल प्रदेश में ऐसी जल विद्युत परियोजनाएं, जिन्हें पहले सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को आवंटित किया गया था और अब इन्हें निजी क्षेत्र को आवंटित किया गया है, का परियोजना-वार और कंपनी-वार ब्यौरा निम्नवत हैः-

क्रम सं.	परियोजना का नाम	पिछली डीपीआर के अनुसार संस्थापित क्षमता (मेगावाट)	संबंधित केंद्रीय एजेंसी	जिस एजेंसी को आवंटित की गई	टिप्पणियां
1	सियांग मिडिल	1000	एनएचपीसी	रिलायंस एनर्जी लि.	
2	सियांग लोअर	1600	एनएचपीसी	जयप्रकाश एसोसिएटेड लि.	वर्तमान संस्थापित क्षमता - 2700मेगावाट
3	सुबानसिरी अपर	2000	एनएचपीसी	केएसके एनर्जी वेंचर्स	

acer

				लि.	
4	सुबानसिरी मिडिल	1600	एनएचपीसी	जिंदल पावर लि.	वर्तमान संस्थापित क्षमता - 1800मेगावाट
5	बाडाओ	60	नीपको	कोस्टल प्रोजेक्ट्स प्रा. लि.	वर्तमान संस्थापित क्षमता -70मेगावाट
6	लोंडा	160	नीपको	जीएमआर एनर्जी लि.	
7	डिबिन	120	नीपको	केएसके इलैक्ट्रिसिटी फाइनेंसिंग इण्डिया प्रा. लि.	
8	कामेंग डैम	600	नीपको	केएसके इलैक्ट्रिसिटी फाइनेंसिंग इण्डिया प्रा. लि.	
9	कामेंग-II (भरेली-II)	600	नीपको	माउन्टेन फाल्स इण्डिया प्रा. लि.	
10	कपकलेयाक	160	नीपको	एनर्जी डेवलेपमेंट कारपोरेशन. लि.	60 मेगावाट की पाचुक-I(वर्तमान संस्थापित क्षमता 84 मेगावाट) और 60 मेगावाट की पाचुक-IIपरियोजना के नाम से आवंटित।
11	इटालिन	4000	एनटीपीसी	जिंदल पावर लि.	वर्तमान संस्थापित क्षमता - 3097मेगावाट
12	अट्टूनली	500	एनटीपीसी	जिंदल पावर लि.	

(घ) : जल एवं जल विद्युत राज्य का विषय है, तथा इन परियोजनाओं का आबंटन अरुणाचल प्रदेश सरकार द्वारा किया गया है।

****

acer

अनुबंध

लोक सभा में दिनांक 13.02.2014 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 3726 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

****

अरुणाचल प्रदेश में निजी क्षेत्र को आवंटित जल विद्युत परियोजनाएं (25 मेगावाट से अधिक)

क्रम सं.	परियोजना का नाम	एजेंसी	संस्थापित क्षमता (मेगावाट)
1	न्यूकचरोंगचू	एसईडब्ल्यू एनर्जी लि.	96
2	मागो चू	एसईडब्ल्यू एनर्जी	96
3	न्यामजंगचू	भीलवाड़ा एनर्जी लि.	780
4	रोह	एसईडब्ल्यू एनर्जी	93
5	न्यू मेलिंग	एसईडब्ल्यू एनर्जी लि.	96
6	टीएसए- चू-II	एनर्जी डेवलेपमेंट कं. लि.	90
7	टीएसए- चू-Iलोअर	एनर्जी डेवलेपमेंट कं. लि.	50
8	थिंगबुचु	अरुणाचल प्रदेश मेगा पावर प्रोजेक्ट्स लि.	60
9	कामेंग डैम (बाना)	केएसके इलैक्ट्रिसिटी फाइनेंसिंग इण्डिया प्रा. लि.	600
10	बडाओ	कोस्टल प्रोजेक्ट्स प्रा. लि.	70
11	रेबी	कोस्टल प्रोजेक्ट्स प्रा. लि.	31
12	पारा	कोस्टल प्रोजेक्ट्स प्रा. लि.	55
13	टलोंग (लोंडा)	जीएमआर एनर्जी लि.	225
14	लेचुंग	कोस्टल प्रोजेक्ट्स प्रा. लि.	41
15	फांचुंग (पाची)	मैसर्स सीईएससी लि. (एसपीवी-पांची हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स लि.)	56
16	डिबिन	केएसके इलैक्ट्रिसिटी फाइनेंसिंग इण्डिया प्रा. लि.	120
17	तरंग वरंग	इण्डिया बुल रियल इस्टेट लि.	36
18	पापु	सीईएसी लि. (कलकत्ता इलैक्ट्रिक सप्लाई कंपनी लि.)	90
19	जमेरी	केएसके एनर्जी वेंचर्स प्रा. लि.	50
20	नाफ्रा	एसईडब्ल्यू एनर्जी लि.	120
21	पक्के बुंग-I	एनर्जी डेवलेपमेंट कं. लि.	40
22	पाचुक-I	एनर्जी डेवलेपमेंट कं. लि.	84
23	पाचुक -IIलोअर	एनर्जी डेवलेपमेंट कं. लि.	45
24	पाचुक -II	एनर्जी डेवलेपमेंट कं. लि.	60
25	मारजिंगला लोअर	एनर्जी डेवलेपमेंट कं. लि.	48
26	मारजिंगला	एनर्जी डेवलेपमेंट कं. लि.	60
27	पापु वैली	वेंसर कंस्ट्रक्शन कं. लि.	48
28	कामेंग-II(भरेली-II)	माउंटेन फॉल इण्डिया प्रा. लि.	600
29	गोंगरी	पटेलइंजीनियरिग लि.	144
30	उटुंग	केएसके एनर्जी वेंचर्स लि.	100
31	नाजोंग	केएसके एनर्जी वेंचर्स लि.	60
32	खुईटम	आदिशंकर पावर प्रा. लि.	66
33	डिंचांग	केएसके एनर्जी वेंचर्स लि.	252
34	डिमिजिन	केएसके एनर्जी वेंचर्स लि.	40
35	डिजिन	पटेलइंजीनियरिग लि.	46
36	मेयोंग	पटेलइंजीनियरिग लि.	38
37	ससकंगरोंग	पटेलइंजीनियरिग लि.	45
38	पार	केवीके एनर्जी एण्ड इंफ्रास्ट्रक्चर लि. (मैसर्स ईसीआई)	65
39	डारदू	केवीके एनर्जी एण्ड इंफ्रास्ट्रक्चर लि. (मैसर्स ईसीआई)	60
40	तुरू	केवीके एनर्जी एण्ड इंफ्रास्ट्रक्चर लि. (मैसर्स ईसीआई)	90
41	पनयोर	राजरत्न एनर्जी होल्डिंग्स प्रा. लि.	80

acer

42	नाबा	अबीर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि.	1000
43	नियारे	कोस्टलइंफ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि.	800
44	डेंगसर	कोस्टलइंफ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि.	552
45	नालो	कोस्टलइंफ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि.	635
46	ओजु	नवयुग इंजी. कं. लि.	1800
47	सुबानसिरी मिडिल (कमाला)	कमाला एचईसीएल) जिन्दल पावर लि.	1800
48	सुबानसिरी अपर	केएसके एनर्जी वेंचर्स प्रा. लि.	2000
49	चोमी	अद्वेत पावर	80
50	चेला	अद्वेत पावर	75
51	जरोंग	सीईएससी लि.	90
52	सिमांग-I	आदिशंकर पावर प्रा. लि.	67
53	सिमांग-II	आदिशंकर पावर प्रा. लि.	66
54	बारपु (पेमाशेलपु)	मैसर्स मैचुका एचपीपीएल (राजरत्न एनर्जी होल्डिंग्स प्रा. लि.)	90
55	कंगतंगसिरी	मैसर्स कंगतंगशिरी एचपीपीएल (राजरत्न एनर्जी होल्डिंग्स प्रा. लि.)	80
56	रापुम (रोपम)	राजरत्न एनर्जी होल्डिंग्स प्रा. लि.	80
57	रेगो	मैसर्स ग्रीनको एनर्जी प्रा. लि.	70
58	यामने स्टेज-I	एसएस यामने पावर प्रा. लि./अबीर कंस्ट्रक्शन प्रा. लि.	111
59	यामने स्टेज -II	एसएस यामने पावर प्रा. लि./अबीर कंस्ट्रक्शन प्रा. लि.	90
60	लोअर यामने स्टेज -I	यामने पावर प्रा. लि.	75
61	लोअर यामने स्टेज -II	यामने पावर प्रा. लि.	87
62	तगुरशिट	एल एण्ड टीडेवलेपमेंट लि.	74
63	टाटो-II	टाटो हाइड्रो पावर प्रा. लि. (रिलायंस एनर्जी लि.)	700
64	नेयंग	डी.एस. कंस्ट्रक्शन लि.	1000
65	सियांग लोअर	जयप्रकाश एसोसिएट्स लि.	2700
66	सियोम (सियांग मिडिल)	सियोम हाइड्रो पावर प्रा. लि. (रिलायंस एनर्जी लि.)	1000
67	पॉक	वेल्कन एनर्जी लि.	145
68	हियो	वेल्कन एनर्जी लि.	240
69	हिरोंग	जयप्रकाश एसोसिएट्स लि.	500
70	टाटो-I	सियोता एचपीपीएल (वेल्कन एनर्जी लि.)	186
71	टगुरशिट स्टे.-II	चदालाबड़ कंस्टक्शन (प्रा.) लि.	27.5
72	पांगो	मीनाक्षी पावर लि.	96
73	हिरीट कोरोंग	साइसुधीर एनर्जी लि.	30
74	टेयोंग	अभ्युदय पावर (प्रा.) लि.	56
75	सोयांग कोरोंग	साईसुधीर एनर्जी लि.	68
76	सिरी कोरोंग	साईसुधीर एनर्जी लि.	58
77	येम सिंग	केवीके एनर्जी प्रा. लि., हैदराबाद	38
78	सिप्पी	मीनाक्षी पावर लि., हैदराबाद	96
79	जीडु/यांगसांग	मीनाक्षी पावर लि., हैदराबाद	92
80	सिपित अपर	श्रीकर एनर्जी लि., हैदराबाद	45
81	एमिनी	एमिनी हाइड्रो पावर प्रा. लि. (रिलायंस एनर्जी लि.)	500
82	मिहुमडॉन	मिहुमडॉनहाइड्रो पावर प्रा. लि. (रिलायंस एनर्जी लि.)	400
83	सिसिरी	सोमा सिसिरी हाइड्रो प्रा. लि. (सोमा इण्टरप्राइज लि.)	100
84	एमारा-II	एथेना एनर्जी वेंचर (प्रा.) लि.	390
85	अमुलिन	अमुलिन हाइड्रो पावर प्रा. लि. (रिलायंस एनर्जी लि.)	420
86	एमारा-I	एथेना एनर्जी वेंचर (प्रा.) लि.	275
87	इटेलिन	जिन्दल पावर लि. (जेवी विद एचपीडीसीएपीएल) इटेलिन एच.ई. पावर कं. लि.	3097
88	अटुनली	जिन्दल पावर लि. (जेवी विद एचपीडीसीएपीएल) इटेलिन एच.ई.	680

acer

		पावर कं. लि.	
89	आशुपानी	मैसर्स आरती पावर एण्ड वेंचर प्रा. लि.	30
90	इथुन-I	जेवीकेआईएल कंसर्टियम	84
91	इथुन-II	जेवीकेआईएल कंसर्टियम	48
92	जिमलिएंग	साई कृष्णोदया इण्डस्ट्रीज (प्रा.) लि.	80
93	रेगम	साई कृष्णोदया इण्डस्ट्रीज (प्रा.) लि.	141
94	टिडिंग-I	साई कृष्णोदया इण्डस्ट्रीज (प्रा.) लि.	96
95	कलाई-II	कलाई पावर प्रा. लि. (रिलायंस पावर लि.)	1200
96	हुटोंग-II	माउंटेन फाल इण्डिया प्रा.	1200
97	टिडिंग-II	साई कृष्णोदया इण्डिया (प्रा.) लि.	68
98	कलाई-I	माउंटेन फाल इण्डिया प्रा. लि.	1352
99	डेम्वे (लोअर)	एथेना एनर्जी वेंचर (प्रा.) लि.	1750
100	डेम्वे (अपर)	एथेना एनर्जी वेंचर (प्रा.) लि.	1080
101	अंजा	एथेना एनर्जी वेंचर (प्रा.) लि.	270
102	तिपांग (तिराप)	आईएल एण्ड एफएस रिन्यूएबल एनर्जी लि.	45
	कुल		**35031.5**

****

acer

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
....
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-3756
जिसका उत्तर 13 फरवरी, 2014 को दिया जाना है।

एन॰टी॰पी॰सी॰ को कोयला ब्लॉकों का आबंटन

†3756. श्री जी॰एम॰ सिद्देश्वरः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड (एन॰टी॰पी॰सी॰) को आबंटित किए गए कोयला ब्लॉकों को खनन कार्यों को शुरू करने में हुई देरी के आधर पर रद्द किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे प्रत्येक कोयला ब्लॉक से खनन कार्य शुरू करने में एन॰टी॰पी॰सी॰ के असफल होने के कारणों का ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसे कोयला ब्लॉकों से उत्पादन में हुई देरी के कारण एन॰टी॰पी॰सी॰ संयंत्रों से विद्युत उत्पादन किस सीमा तक प्रभावित हुआ है;

(घ) क्या एन॰टी॰पी॰सी॰ ने ऐसे कोयला ब्लॉकों की पुनः प्राप्ति के लिए कदम उठाए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और परिणाम क्या हैं?

उत्तर

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

(क) और (ख) : कोयला मंत्रालय ने एनटीपीसी के तीन कोयला ब्लॉक चट्टी-बरियातु, केरनदारी और चट्टी-बरियातु (दक्षिण) 14.06.2011 को अनावंटित किए थे। कोयला खनन का प्रचालन आरम्भ होना पर्यावरण एवं वन स्वीकृतियों, भूमि-अधिग्रहण आदि की उपलब्धतता से जुड़ा है। इन गतिविधियों में देरी के साथ-साथ झारखण्ड राज्य में कानून और व्यवस्था की प्रतिकूल स्थिति ने इन तीन कोयला ब्लॉकों के विकास कार्यक्रम को प्रभावित किया है।

(ग) : एनटीपीसी के विद्युत संयंत्रों से विद्युत का उत्पादन प्रभावित नहीं हुआ है क्योंकि प्रचालनाधीन किसी भी यूनिट को इन ब्लॉकों से कोयला निर्धारित नहीं किया गया था।

(घ) और (ङ) : कोयला मंत्रालय द्वारा उपर्युक्त तीनों ही कोयला ब्लॉक 23.01.2013 को एनटीपीसी को पुनःआबंटित कर दिए गए हैं।

****

acer

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
....
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-3757
जिसका उत्तर 13 फरवरी, 2014 को दिया जाना है।

कोयले की कमी

†3757. श्री असादूद्दीन ओवेसीः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या कोयला आपूर्ति में कमी के कारण वर्ष 2013–14 में अब तक कुछ कोयला संयंत्रों ने विद्युत उत्पादन में अत्यधिकहानि की सूचना दी है; और

(ख) यदि हां, तो संयंत्र–वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

(क) और (ख) : विद्युत यूटिलिटियों ने वर्ष 2013-14 (दिसम्बर तक) के दौरान, कोयले की कमी के कारण लगभग 4198 मिलियन यूनिट की उत्पादन हानि की रिपोर्ट दी है। कोयले की कमी के कारण विद्युत उत्पादन की हानि की संयंत्र-वार सूचना **अनुबंध** में दी गई है।

****

अनुबंध

लोक सभा में दिनांक 13.02.2014 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 3757 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

****

विद्युत यूटिलिटी द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2013-14 (दिसम्बर तक) के दौरान कोयले की कमी के कारण हुई उत्पादन हानि

क्रम सं.	विद्युत यूटिलिटी	ताप विद्युत संयंत्र	क्षमता (मेगावाट)	उत्पादन हानि (मिलियन यूनिट)
1	एनटीपीसी लि.	दादरी (एनसीपीपी)	1820	26
		कहलगांव एसटीपीएस	2340	549
		रिहंद एसटीपीएस	3000	248
		फरक्का एसटीपीएस	2100	162
		विंध्याचल एसटीपीएस	4260	21
		तालचेर एसटीपीएस	3000	953
		रामागुंडम	2600	820
		सिम्हाद्री	2000	314
		सीपत	2980	728
2	एमएसपीजीसीएल	खापरखेड़ा-II	1340	164
3	एपजैंको	रायलसीमा	1050	18
		काकातिया	500	76
4	टैनजेडको	तूतीकोरिन	1050	49
		इन्नोर	450	19
		मेट्टूर	1440	18
		नॉर्थ चेन्नई	1830	33
	अखिल भारतीय कुल		31760	4198

एमएसपीजीसीएलः महाराष्ट्र स्टेट पावर जेनरेशन कंपनी लि.

एपजैंकोः आंध्र प्रदेश पावर जेनरेशन कारपोरेशन लि.

टैनजेडकोः तमिलनाडु जेनरेशन एण्ड डिस्ट्रिब्यूशन कारपोरेशन लि.

****

acer

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
....
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-3758
जिसका उत्तर 13 फरवरी, 2014 को दिया जाना है।

विद्युत परियोजनाओं हेतु छूट

†**3758. श्री पोन्नम प्रभाकरः**

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने मेगा विद्युत नीति के अंतर्गत 25 विद्युत परियोजनाओं हेतु मानदंडों में छूट दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इससे जिन परियोजनाओं को लाभ प्राप्त होगा उनका राज्य–वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

(क) से (ग)- सरकार ने निर्णय लिया है कि मेगा पावर पॉलिसी के अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए, उन परियोजनाओं जिन्हें अनंतिम मेगा प्रमाणपत्र प्रदान किया गया है, के विकासकर्त्ताओं को डिस्कॉमों/ राज्य निर्दिष्ट एजेंसी के साथ प्रतिस्पर्द्धात्मक बोली के माध्यम से संस्थापित क्षमता/ निवल क्षमता का न्यूनतम 65% और विशिष्ट मेजबान राज्य नीति के अनुसार विनियमित प्रशुल्क के अन्तर्गत संस्थापित क्षमता/ निवल क्षमता के 35% तक व्यवस्था करनी चाहिए । यह छूट 15 परियोजनाओं (अनुबंध में पहली पंद्रह परियोजनाएं) तक सीमित होगी जो ऐसे राज्यों में स्थित हैं जिनके पास अनिवार्य मेजबान राज्य विद्युत से संबद्ध नीति है।

इसके अतिरिक्त, कर प्राधिकारियों को अंतिम मेगा प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के लिए पूर्व में अनुमति दी गई अधिकतम समयावधि को आयात की तिथि से 36 माह से बढ़ाकर 60 माह कर दिया गया है । 25 पात्र परियोजनाओं की राज्य-वार सूची **अनुबंध** में दी गई है।

****

acer

अनुबंध

लोक सभा में दिनांक 13.02.2014 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 3758 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

****

क्रम सं.	परियोजना/विकासकर्ता	क्षमता (मेगावाट)	जारी करने की तिथि
	कोयला आधारित		
	छत्तीसगढ़		
1	जीएमआर छत्तीसगढ़ इनर्जी लि. रायपुर, छत्तीसगढ़	2x685	08.09.2011
2	केएसके महानदी पावर कारपोरेशन लि. (यू-2 और 5) जंजगीर-चम्पा, छत्तीसगढ़	2x600	08.09.2011
3	केएसके महानदी पावर कारपोरेशन लि. (यू-1 और 6) जंजगीर-चम्पा, छत्तीसगढ़	2x600	08.09.2011
4	लैंको पावर लि. (यू-3,4) पथाडी, छत्तीसगढ़	2x660	17.10.2011
5	डीबी पावर लि. बाराधारा, टीपीपी जंजगीर-चम्पा, छत्तीसगढ़	2x600	28.11.2011
6	एथेना छत्तीसगढ़ पावर लि. सिंघीतराई टीपीएस जंजगीर-चम्पा, छत्तीसगढ़	2x600	15.12.2011
7	आरकेएम पावरजेन प्रा. लि., उचपिंड टीपीपी जंजगीर-चम्पा, छत्तीसगढ़	4x360	18.01.2012
8	एसकेएस पावर जेनरेशन (छत्तीसगढ़) लि. बिंजकोट टीपीपी रायगढ़, छत्तीसगढ़	4x300	29.02.2012
	ओडिशा		
9	केवीके नीलांचल पावर प्रा. लि. कटक, ओडिशा	3x350	27.09.2011
10	मोनेट पावर कारपोरेशन लि. मलिब्राह्मणि, ओडिशा	2x525	05.10.2011
11	लैंको बाबंध पावर लि. ढेंकानाल, ओडिशा	2x660	28.11.2011
12	जिंदल इण्डिया थर्मल पावर लि. अंगुल, ओडिशा	2x600	23.04.2012
	झारखण्ड		
13	कारपोरेट पावर लि. चंदवा, झारखण्ड	4x270	17.10.2011
14	एस्सार पावर झारखण्ड लि. तोरी, झारखण्ड	2x600	16.01.2012
	मध्य प्रदेश		
15	एमबी पावर (एमपी) लि. अनूपपुर, मध्य प्रदेश	2x600	18.01.2012
	आंध्र प्रदेश		
16	थर्मल पावरटेक कारपोरेशन लि. पायनमपुरम, आंध्र प्रदेश	2x660	26.09.2011
17	ईस्ट-कोस्ट इनर्जी प्रा. लि. श्रीकुलम, आंध्र प्रदेश	2x660	30.09.2011
18	मीनाक्षीइनर्जी प्रा. लि. थामिनापट्टनम, आंध्र प्रदेश	फेज-I:2x 150 फेज-II: 2x 350	28.02.2012
19	हिन्दुजा नेशनल पावर कारपोरेशन लि. विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश	2x520	10.10.2011
20	एनसीसी पावर प्रोजेक्ट्स नैल्लोर, आंध्र प्रदेश	2x660	24.04.2012
21*	समलकोट पावर लि. समलकोट, आंध्र प्रदेश	2400	22.09.2011
	उत्तर प्रदेश		
22	ललितपुर पावर जेनरेशन कंपनी लि. ललितपुर, उत्तर प्रदेश	3x660	28.10.2011
	महाराष्ट्र		
23	लैंको विदर्भ थर्मल पावर लि. वर्धा, महाराष्ट्र	2x660	21.11.2011
	तमिलनाडु		
24	आईएल एण्ड एफएस तमिलनाडु पावर कंपनी लि. कुड्डालोर, तमिलनाडु	2x600	18.01.2012
	गुजरात		
25*	टोरेंट इनर्जी लि. दहेज, गुजरात	1200	28.11.2011
	कुल	**32330** मेगावाट	

*** गैस आधारित परियोजना(क्रम सं. 21 और 25)**

****

acer

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
....
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-3761
जिसका उत्तर 13 फरवरी, 2014 को दिया जाना है।

विद्युत की खरीद

†3761. श्री पी॰ करूणाकरनः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) उन राज्य सरकारों का ब्यौरा क्या हैजिन्होंने नए केस–1 स्टैंडर्ड बिडिंग डॉक्यूमेंट्स कीअधिसूचनाके समय से विद्युत अधिनियम 2003की धारा63 के अंतर्गत विद्युत की खरीद की है;

(ख) मांगी गई तथा खरीदी गई विद्युत कीमात्रा कितनी थी तथा इसकी लागत कितनी थीतथा हस्ताक्षरित तथा मुकदमेबाजी के अंतर्गतराज्य/संघ राज्यक्षेत्र–वार कितने विद्युत खरीदसमझौते किए गए;

(ग) एस॰बी॰डी॰ में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया कीतुलना में राज्य/संघ राज्यक्षेत्र–वार कितने विपथनपाए गए;

(घ) क्या उक्त विपथन तदनुरूप नियामकोंद्वारा प्राधिकृत किए गए थे; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथायदि नहीं, तो प्रक्रिया का पालन नहीं किए जाने केराज्य/संघ राज्यक्षेत्र–वार क्या कारण हैं?

उत्तर

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

(क) और (ख) - विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 63 के अंतर्गत विद्युत मंत्रालय ने केस-1 परियोजनाओं के लिए मानक बोली दस्तावेजसंशोधित कर दिए हैं एवं डिजाइन, निर्माण, वित्त, स्वामित्व और प्रचालन(डीबीएफओओ)आधार पर स्थापित ताप विद्युत केन्द्रों के लिए 8 नवम्बर, 2013 को आदर्श बोली दस्तावेज(एमबीडी)जारी कर दिए हैं ।

हाल ही में दस्तावेजों को अंतिम रूप दिया गया है और इन दस्तावेजों के आधार पर बोली प्रक्रिया के माध्यम से विद्युत का प्रापण करने में कुछ समय लगेगा।इसलिए प्रश्न में मांगी गई सूचना को अब 'शून्य' माना जाए।

(ग) से (ङ)- संशोधित दिशा-निर्देशों जो डीबीएफओओ(मामला-1) के आधार पर संशोधित दस्तावेज को अंतिम रूप प्रदान करने के पश्चात जारी किए गए थे, के अनुसार आदर्श बोली दस्तावेजों में कोई भी भिन्नता होने पर केन्द्र सरकार के अनुमोदन की आवश्यकता होगी। इस संदर्भ में, विद्युत मंत्रालय में अभी तक कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुई है।

****

acer